

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2011—पौष 9, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2011

क्र. ई-1-412-2011-5-एक.—श्री रमेश एस. थेटे, भाप्रसे (93) संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, अपर आयुक्त (राजस्व) उज्जैन संभाग, उज्जैन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2011

क्र. ई-5-644-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री संजय कुमार शुक्ल, आयएएस., आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश

भोपाल को दिनांक 26 दिसम्बर 2011 से 3 जनवरी 2012 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री संजय कुमार शुक्ल की अवकाश अवधि में श्री संजीव झा, आयएएस., परियोजना संचालक, प्रजोक्त उदय को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार शुक्ल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री संजय कुमार शुक्ल द्वारा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजीव झा, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार शुक्ल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार शुक्ल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-726-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, आयएएस., आयुक्त, जनसंपर्क तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को दिनांक 2 से 24 दिसम्बर 2011 तक तेईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में श्री एम. एम. उपाध्याय, आयएएस., प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं सहकारिता विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में श्री हरिरंजन राव, आयएएस., आयुक्त, पर्यटन, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, पर्यटन विभाग एवं सचिव, मुख्यमंत्री को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त जनसंपर्क तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(4) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, जनसंपर्क तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(5) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा आयुक्त, जनसंपर्क तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि

उद्योग विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. एम. उपाध्याय, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के प्रभार से मुक्त होंगे तथा श्री हरिरंजन राव, आयुक्त, जनसंपर्क तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(6) अवकाशकाल में श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2011

क्र. ई-5-792-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, आयएएस., कलेक्टर, जिला श्योपुर को दिनांक 19 से 31 दिसम्बर 2011 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 दिसम्बर 2011 एवं 1 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल की अवकाश अवधि में श्री एस.पी.एस. सलूजा, आयएएस., अपर आयुक्त, ग्वालियर/चंबल संभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला श्योपुर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला श्योपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल द्वारा कलेक्टर, जिला श्योपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस.पी.एस. सलूजा, कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-1-422-2011-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाएँ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को उनके नाम के

समक्ष खाना (3) में दर्शाए गये पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्रमांक	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती आभा अस्थाना (1977) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य, संस्कृति, ट्रस्टी सचिव, भारत भवन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, परिवहन विभाग.	महानिदेशक, आर.सी.व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल.
2	श्री अन्टोनी जे. सी. डिसा (1980), पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा परिवहन विभाग.

(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती आभा अस्थाना द्वारा महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राकेश अग्रवाल, भाप्रसे (1982) संचालक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी एवं महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी केवल महानिदेशक आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(3) श्रीमती विजया श्रीवास्तव, भाप्रसे (1984), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक संसदीय कार्य विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2011

क्र. ई-5-802-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आर. ए. खण्डेलवाल, आयएस., अपर आयुक्त, (राजस्व) जबलपुर संभाग, जबलपुर को दिनांक 29 दिसम्बर 2011 से 7 जनवरी 2012 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री आर. ए. खण्डेलवाल की अवकाश अवधि में श्री जी. पी. श्रीवास्तव, आयएस., संचालक, कौशल विकास, जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर आयुक्त, (राजस्व) जबलपुर संभाग, जबलपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. ए. खण्डेलवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, (राजस्व) जबलपुर संभाग, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आर. ए. खण्डेलवाल द्वारा अपर आयुक्त, (राजस्व) जबलपुर संभाग, जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जी. पी. श्रीवास्तव, अपर आयुक्त, (राजस्व) जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आर. ए. खण्डेलवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. ए. खण्डेलवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-808-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राजेन्द्र शर्मा, आयएस., कलेक्टर, जिला रतलाम को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 नवम्बर 2011 द्वारा दिनांक 12 से 24 दिसम्बर 2011 तक तेरह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में राज्य शासन द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 19 से 24 दिसम्बर 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 एवं 25 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री राजेन्द्र शर्मा की (दिनांक 12 से 16 दिसम्बर 2011 तक प्रशिक्षण अवधि) तथा अवकाश अवधि में श्री अमर सिंह बघेल, अपर कलेक्टर, जिला रतलाम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर जिला रतलाम का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राजेन्द्र शर्मा द्वारा कलेक्टर, जिला रतलाम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमर सिंह बघेल, कलेक्टर, जिला रतलाम के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2011

क्र. ई-5-327-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक दास, आयएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 दिसम्बर 2011 द्वारा

दिनांक 28 दिसम्बर 2011 से 3 जनवरी 2012 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है।

(2) श्री अशोक दास की अवकाश की अवधि में अन्टोनी जे. सी. डीसा, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा परिवहन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 दिसम्बर 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. ई-5-372-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. पुखराज मारू, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग को दिनांक 2 से 5 जनवरी 2012 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 1 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) डॉ. पुखराज मारू की अवकाश की अवधि में श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, श्रम विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. पुखराज मारू को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. पुखराज मारू द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ए. पी. श्रीवास्तव, श्रम विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में डॉ. पुखराज मारू को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. पुखराज मारू, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई. 5-570-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजीत केसरी, आयएएस., सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 23 दिसम्बर 2011 से 2 जनवरी 2012 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-353-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री स्वदीप सिंह, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2011 एवं दिनांक 1 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री स्वदीप सिंह की अवकाश अवधि में श्रीमती अमिता शर्मा, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री स्वदीप सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री स्वदीप सिंह द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अमिता शर्मा, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री स्वदीप सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वदीप सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई. 5-478-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अनिल श्रीवास्तव, आयएएस., आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2011 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनिल श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई. 5-778-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, आयएएस., सचिव, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम तथा पुनर्वास आयुक्त एवं नियंत्रक, शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री तथा पदेन सचिव, राजस्व, पुनर्वास, धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व विभाग तथा पदेन अपर राहत आयुक्त को दिनांक 26 से दिनांक 29 दिसम्बर 2011 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम तथा पुनर्वास आयुक्त एवं नियंत्रक शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री तथा पदेन सचिव, राजस्व, पुनर्वास, धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व विभाग तथा पदेन अपर राहत आयुक्त के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-845-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. सी. जैन, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 12 से 24 दिसम्बर 2011 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री के. सी. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2011

क्र. एफ. 13-06-2010-एक-4.—श्री संजय कुमार मिश्र, राज्य शिष्टाचार अधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2011 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार मिश्र, शिष्टाचार अधिकारी को वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार मिश्र, शिष्टाचार अधिकारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

(4) श्री संजय कुमार मिश्र, राज्य शिष्टाचार अधिकारी के अवकाश पर रहने की अवधि में श्री संजय सिंह चौहान, सत्कार अधिकारी, सत्कार संबंधी कार्य देखेंगे एवं शेष कार्य उपसचिव (श्री के.सी. पंत) देखेंगे।

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

क्र. एफ. 3-5-2011-एक-4.—राज्य शासन, एतद्वारा पंचायतों के आम/उप निर्वाचन-2011 (उत्तरार्द्ध) हेतु आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम (प्रति संलग्न) अनुसार मतदान दिनांक 26 दिसम्बर 2011 सोमवार को जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है।

(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिये परक्राम्य लिखित अधिनियम, (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पंत, उपसचिव।

त्रि-स्तरीय पंचायतों में रिक्त स्थानों (सीटों) पदों की जानकारी त्रैमास सितम्बर-2011
(जिलों से फेक्स/पत्रों एवं दूरभाष से प्राप्त जानकारी के अनुसार रिक्तियों की संख्या)

जिला	जिला पंचायत			जनपद पंचायत			ग्राम पंचायत			आम निर्वाचन	
	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सदस्य	सरपंच	उपसरपंच	पंच	सरपंच	पंच
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	मुरैना	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-
2	श्यापुर	-	-	-	-	-	3	-	9	-	-
3	भिण्ड	-	-	-	-	-	4	-	78	-	-
4	ग्वालियर	-	-	-	-	1	3	-	15	-	-
5	शिवपुरी	-	-	-	-	1	3	-	26	-	-
6	दतिया	-	-	-	-	-	3	-	18	-	-
7	गुना	-	-	-	-	-	2	-	6	-	-
8	अशोकनगर	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
9	मंदसौर	-	-	-	-	-	4	4	13	-	-
10	नीमच	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-
11	रतलाम	-	-	-	-	-	2	-	15	-	-
12	शाजापुर	-	-	-	-	-	2	2	13	-	-
13	उज्जैन	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-
14	देवास	-	-	-	-	-	2	-	18	-	-
15	राजगढ़	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
16	सीहोर	-	-	-	-	-	2	6	40	-	-
17	विदिशा	-	-	-	-	1	-	-	33	-	-
18	भोपाल	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-
19	रायसेन	-	-	-	-	-	1	-	21	-	-
20	बैतूल	-	-	-	-	-	5	-	24	-	-
21	होशंगाबाद	-	-	-	-	1	2	2	17	-	-
22	हरदा	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-
23	झाबुआ	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
24	अलीराजपुर	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
25	इन्दौर	-	-	-	-	-	1	-	19	-	-
26	धार	-	-	-	-	-	1	5	19	2	32
27	खरगोन	-	-	-	-	-	2	1	44	-	-
28	बड़वानी	-	-	-	-	-	2	2	7	-	-
29	खण्डवा	-	-	-	-	1	-	-	7	-	-
30	बुरहानपुर	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-
31	टीकमगढ़	-	-	-	-	-	2	-	9	-	-
32	पन्ना	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
33	छतरपुर	-	-	-	-	-	2	5	22	-	-
34	सागर	-	-	-	-	-	5	-	46	-	-
35	दमोह	-	-	-	-	-	1	-	17	-	-
36	जबलपुर	-	-	-	-	-	-	-	9	1	20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
37	कटनी	-	-	1	-	-	2	-	8	-	-	
38	नरसिंहपुर	-	-	-	-	-	1	-	9	-	-	
39	छिंदवाड़ा	-	-	-	-	-	4	-	25	-	-	
40	सिवनी	-	-	-	-	-	1	-	38	-	-	
41	मण्डला	-	-	-	-	2	17	3	29	-	-	
42	डिण्डोरी	-	-	-	-	-	3	-	8	-	-	
43	बालाघाट	-	-	-	-	1	2	-	45	-	-	
44	रीवा	-	-	-	-	-	2	1	23	-	-	
45	सतना	-	-	-	-	-	3	-	39	13	221	
46	शहडोल	-	-	-	-	2	6	1	38	-	-	
47	अनूपपूर	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	
48	उमरिया	-	-	-	-	-	2	5	19	-	-	
49	सीधी	-	-	-	-	-	1	-	7	-	-	
50	सिंगरौली	-	-	-	-	-	2	-	7	-	-	
योग . . .		0	0	1	0	0	10	102	39	957	16	273

परिशिष्ट-एक

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2011

“आदेश”

क्र. एफ. 37-12-2011-तीन-1969.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा 9(2)(क) एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 28 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा, पंचायतों में 30-9-2011 तक रिक्त हुए पदों की पूर्ति हेतु तथा नवगठित पंचायतों एवं उन पंचायतों जिनका कार्यकाल पूर्ण हो रहा है तथा जिन ग्राम पंचायतों को आरक्षण से अपवर्जित किया गया है, के आम/उप निर्वाचन, 2011 (उत्तरार्द्ध) निर्वाचन हेतु निम्नानुसार समय अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता है :-

क्र.	कार्यवाही	नियम	निर्धारित तारीख	दिन और समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करना.	28	5-12-2011	प्रातः 10.30 बजे से (सोमवार)
	(ii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.	29-क	—उपरोक्तानुसार—	
	(iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	23	—उपरोक्तानुसार—	
2	नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की आखरी तारीख	28(क)	12-12-2011	अपरान्ह 3.00 बजे तक (सोमवार)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच)	28(ख)	13-12-2011	प्रातः 10.30 बजे से (मंगलवार)
4	अभ्यर्थिता से नाम वापिस लेने की अखिरी तारीख	28(ग)	15-12-2011	अपरान्ह 3.00 बजे तक (गुरुवार)
5	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	38, 39	15-12-2011	अभ्यर्थिता वापसी के ठीक बाद (गुरुवार).
6	मतदान (यदि आवश्यक हो)	28(घ)	26-12-2011	प्रातः 8.00 बजे से 3.00 बजे तक (सोमवार).
7	मतगणना	-	26-12-2011	मतदान केन्द्रों पर मतदान के तुरन्त पश्चात् (सोमवार).
8	सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा			
(i)	पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य के मामले में		27-12-2011	खण्ड मुख्यालय पर प्रातः 9.00 बजे से (मतों के सारणीकरण के तत्काल बाद) (मंगलवार).
(ii)	जिला पंचायत सदस्यों के मामले में	-	28-12-2011	जिला मुख्यालय पर प्रातः 10.30 बजे से (बुधवार).

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2011

(1) (2) (3)
रीवा संभाग
4 श्री बंसत राम सहायक भौमिकी विद्

क्र. एफ. 03-60-2011-दो-ए (3).—राज्य शासन द्वारा नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 28 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

निम्नस्तर

सागर संभाग

5 श्री कॉसमॉस केरकेट्टा खनिज अधिकारी

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2011

अनु. परीक्षार्थी का नाम पदनाम
(1) (2) (3)

उच्चस्तर (सश्रेय)
जबलपुर संभाग

1 श्री मन्नु डामोर सहायक भौमिकी विद्

भोपाल संभाग

2 श्रीमती अनीता रोहितास

रसायनज्ञ

3 श्रीमती प्रीति ठाकुर

सहायक खनिज अर्थशास्त्री

क्र. एफ. 03-55-2011-दो-ए(3).—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 27 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र तृतीय-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

अनु. परीक्षार्थी का नाम पदनाम
(1) (2) (3)

होशंगाबाद संभाग

1 श्री मनेन्द्र सिंह जंयत

वन क्षेत्रपाल

(1)	(2)	(3)
2	श्री मुकेश कुमार जामोर	वन क्षेत्रपाल
3	श्री अजय वाहने	वन क्षेत्रपाल

ग्वालियर संभाग

4	श्री दशरथ अखण्ड	वन क्षेत्रपाल
5	श्री मनोज कुमार जाटव	वन क्षेत्रपाल

इन्दौर संभाग

6	श्री पीरूलाल परिहार	वन क्षेत्रपाल
---	---------------------	---------------

सागर संभाग

7	श्रीमती विनीता फुलबेल	वन क्षेत्रपाल
---	-----------------------	---------------

रीवा संभाग

8	श्री मितेन्द्र कुमार चिचखेडे	वन क्षेत्रपाल
9	श्री गणेश कुमार उड़के	वन क्षेत्रपाल

भोपाल संभाग

10	श्री सुरेश बरोले	वन क्षेत्रपाल
11	श्री सुधीर पटेल	वन क्षेत्रपाल
12	कु. सुनीता अहिरवार	वन क्षेत्रपाल

जबलपुर संभाग

13	श्री राकेश शाक्यवार	वन क्षेत्रपाल
14	श्री अमित सोनी	वन क्षेत्रपाल
15	श्री नितिन कुमार निगम	वन क्षेत्रपाल
16	श्री वीरेन्द्र सिंह जामोर	वन क्षेत्रपाल
17	कु. भावना श्रीवास	वन क्षेत्रपाल
18	श्री मनोज कुमार सोलंकी	वन क्षेत्रपाल
19	श्री विनय कुमार मेश्राम	वन क्षेत्रपाल
20	श्री श्रीराम सूत्रकार	वन क्षेत्रपाल
21	श्री भजन सिंह मरावी	वन क्षेत्रपाल

क्र. एफ. 03-62-2011-दो-ए(3).—राज्य शासन द्वारा उत्पाद शुल्क आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 25 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र-विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर**भोपाल संभाग**

1	श्री दीपक कुमार रायचुरा	जिला आबकारी अधिकारी
---	-------------------------	---------------------

(1)	(2)	(3)
2	श्री अभिषेक कुमार तिवारी	जिला आबकारी अधिकारी

निम्नस्तर**जबलपुर संभाग**

2	श्री भीमराव वैद्य	जिला आबकारी अधिकारी
---	-------------------	---------------------

क्र. एफ. 03-64-2011-दो-ए(3).—राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 28 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र-लेखा-प्रश्नपत्र प्रथम (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

निम्नस्तर**शहडोल संभाग**

1	श्री कुवंर धुर्वे	हाउस मास्टर
---	-------------------	-------------

क्र. एफ. 03-65-2011-दो-ए(3).—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 29 जुलाई 2011 को लेखा-प्रश्नपत्र द्वितीय (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

होशंगाबाद संभाग

1	श्री अजय वाहने	वन क्षेत्रपाल
2	श्री मनेन्द्र सिंह जयंत	वन क्षेत्रपाल
3	श्री मुकेश कुमार जामोर	वन क्षेत्रपाल

इन्दौर संभाग

4	श्री पीरूलाल परिहार	वन क्षेत्रपाल
---	---------------------	---------------

ग्वालियर संभाग

5	श्री दशरथ अखण्ड	वन क्षेत्रपाल
6	श्री मनोज कुमार जाटव	वन क्षेत्रपाल
7	श्री उदय भान मांझी	वन क्षेत्रपाल

भोपाल संभाग

8	कु. सुनीता अहिरवार	वन क्षेत्रपाल
---	--------------------	---------------

(1)	(2)	(3)
9	श्री सुधीर पटेल	वन क्षेत्रपाल
10	श्री सुरेश बरोले	वन क्षेत्रपाल

रीवा संभाग

11	श्री गणेश कुमार उडके	वन क्षेत्रपाल
12	श्री मितेन्द्र कुमार चिचखेडे	वन क्षेत्रपाल

सागर संभाग

13	श्रीमती विनीता फुलबेल	वन क्षेत्रपाल
----	-----------------------	---------------

जबलपुर संभाग

14	श्री राकेश शाक्यवार	वन क्षेत्रपाल
15	श्री हरिकरण पटेल	वन क्षेत्रपाल
16	श्री वीरेन्द्र सिंह जामोर	वन क्षेत्रपाल
17	कु. भावना श्रीवास	वन क्षेत्रपाल
18	श्री अमित सोनी	वन क्षेत्रपाल
19	श्री भजन सिंह मरावी	वन क्षेत्रपाल
20	श्री विनय कुमार मेश्राम	वन क्षेत्रपाल
21	श्री मनोज कुमार सोलंकी	वन क्षेत्रपाल
22	श्री नितिन कुमार निगम	वन क्षेत्रपाल
23	श्री श्रीराम सूत्रकार	वन क्षेत्रपाल

क्र. एफ. 03-67-2011-दो-ए(3).—राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 28 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र-लेखा-प्रश्नपत्र द्वितीय (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर**सागर संभाग**

1	श्री नजीर अली	हाउस मास्टर
---	---------------	-------------

निम्नस्तर**शहडोल संभाग**

1	श्री कुवंर धुर्वे	हाउस मास्टर
---	-------------------	-------------

सागर संभाग

1	श्री कुवल भूषण बिलवाल	मैट्रन
---	-----------------------	--------

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2011

क्र. एफ. 03-68-2011-दो-ए (3).—राज्य शासन द्वारा कृषि सेवा कार्यपालन, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र-लेखा द्वितीय (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर**होशंगाबाद संभाग**

1	श्री शैलेन्द्र राठौर	सहायक संचालक कृषि
---	----------------------	-------------------

जबलपुर संभाग

2	श्रीमती अर्चना परते	सहायक संचालक कृषि
3	श्रीमती शिल्पी नेमा	सहायक संचालक कृषि
4	श्री राजेश कुमार खोबरागड़े	स.सं.कि.क. तथा कृ. विकास
5	श्री धीरज कुमार ठाकुर	सहायक संचालक कृषि
6	श्री पिन्टू जामोद	सहायक संचालक कृषि
7	श्रीमती सरिता सिंह	स.सं.कि.क. तथा कृ. विकास
8	श्रीमती प्रीति उपाध्याय	सहायक संचालक कृषि
9	श्रीमती दीप्ती यादव	सहायक संचालक कृषि
10	कुमरी स्मिता पटेल	सहायक संचालक कृषि
11	श्री मुकेश वर्मा	सहायक संचालक कृषि
12	श्री अमित पाण्डे	सहायक संचालक कृषि
13	कुमारी अर्चना डोंगरे	सहायक संचालक कृषि

भोपाल संभाग

14	श्री अरुण प्रताप सिंह	सहायक संचालक कृषि
15	श्रीमती सुरभि आतराम	सहायक संचालक कृषि
16	डॉ. अर्चना परमार	सहायक संचालक कृषि
17	श्री हजारी लाल निमोरिया	वरिष्ठ उद्यान विकास अधि.

सागर संभाग

18	श्री भानु प्रकाश शर्मा	सहायक संचालक कृषि
19	श्री अशोक कुमार शर्मा	सहायक संचालक कृषि
20	श्री संजय कुमार पाठक	सहायक संचालक कृषि
21	कुमारी दीपिका तिवारी	सहायक संचालक कृषि
22	श्री संजीव कुमार शर्मा	सहायक संचालक कृषि
23	श्री राम सिंह बागरी	सहायक संचालक कृषि

इन्दौर संभाग

24	श्री दीपक कुमार बेनल	सहायक संचालक कृषि
----	----------------------	-------------------

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
25	श्री सचिन जैन	सहायक संचालक कृषि			इन्दौर संभाग
26	श्री विजय जाट	सहायक संचालक कृषि			
27	श्रीमती नेहा अवरस्थी	सहायक संचालक कृषि	5	श्री भारत सिंह सोलंकी	सहायक संचालक कृषि
28	सुश्री प्रियंका जैन	सहायक संचालक कृषि	6	श्री सुरसिंह रावत	सहायक संचालक कृषि
29	श्री सखाराम औसारी	वरिष्ठ उद्यान विकास अधि.	7	श्री गोपाल डाबर	सहायक संचालक कृषि
30	श्री शैतान सिंह गरवाल	वरिष्ठ उद्यान विकास अधि.	8	श्रीमती अल्पना वर्मा	सहायक संचालक कृषि
शहडोल संभाग			शहडोल संभाग		
31	श्री विजय देशमुख	सहायक संचालक कृषि	9	श्री अधनू सिंह मरावी	वरिष्ठ उद्यान विकास अधि.
32	श्री शोभाराम एस्के	सहायक संचालक कृषि	उज्जैन संभाग		
33	श्रीमती निशा सिन्हा	सहायक संचालक कृषि	10	श्रीमती रश्मि जैन	सहायक संचालक कृषि
34	डॉ. प्रेम सिंह	अनु.वि. कृषि अधिकारी	11	डॉ. यतिन कुमार मेहता	सहायक संचालक कृषि
रीवा संभाग			क्र. एफ. 03-69-2011-दो-ए(3).—राज्य शासन द्वारा उत्पाद शुल्क एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 28 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—		
35	श्री रमेन्द्र कुमार सिंह	सहायक संचालक कृषि	अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
36	श्री दिलीप कुमार जाट	सहायक संचालक कृषि	(1)	(2)	(3)
37	श्री अजीत कुमार सिंह	सहायक संचालक कृषि	उच्चस्तर		
ग्वालियर संभाग			भोपाल संभाग		
38	डॉ. विमलेश कुमार यादव	सहायक संचालक कृषि	1	श्री दीपम कुमार रायचुरा	जिला आबकारी अधिकारी (सश्रेय).
39	श्री राजपति शुक्ल	स.सं.कि.क. तथा कृ. विकास	2	श्री अभिषेक कुमार तिवारी	जिला आबकारी अधिकारी (सश्रेय).
40	श्री अमित सिंह	सहायक संचालक कृषि	जबलपुर संभाग		
41	श्री गोविन्द मीना	स.सं.कि.क. तथा कृ. विकास	3	श्री भीमराव वैद्य	जिला आबकारी अधिकारी
उज्जैन संभाग			क्र. एफ. 03-70-2011-दो-ए(3).—राज्य शासन द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 28 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र-लेखा-प्रश्नपत्र-प्रथम (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—		
42	श्रीमती निशा सोलंकी	सहायक संचालक कृषि	अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
43	श्री नितेश कुमार यादव	स.सं.कि.क. तथा कृ. विकास	(1)	(2)	(3)
44	श्री बनप सिंह वर्मा	स.सं.कि.क. तथा कृ. विकास	उच्चस्तर		
45	श्री कमलेश कुमार राठौर	स.सं.कि.क. तथा कृ. विकास	भोपाल संभाग		
46	श्री अशोक कुमार जायसवाल	स.सं.कि.क. तथा कृ. विकास	1	श्री विवेक कुमार पाण्डेय	जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग.
47	श्री श्यामलाल सोलंकी	वरिष्ठ उद्यान विकास अधि.			
48	कुमारी विनीता राय	सहायक संचालक कृषि			
निम्नस्तर					
जबलपुर संभाग					
1	कुमारी स्वाति जायसवाल	सहायक संचालक कृषि			
2	श्री मधुवन भारद्वाज	वरिष्ठ उद्यान विकास अधि.			
3	श्री संतोष इवने	वरिष्ठ उद्यान विकास अधि.			
भोपाल संभाग					
4	श्री गोविन्द पटेल	वरिष्ठ उद्यान विकास अधि.			

क्र. एफ. 03-71-2011-दो-ए(3).—राज्य शासन द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 28 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र-लेखा-प्रश्नपत्र-द्वितीय (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
-------------	---------------------------	--------------

**उच्चस्तर
भोपाल संभाग**

1	श्री विवेक कुमार पाण्डेय (सश्रेय).	जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग.
---	---------------------------------------	--

क्र. एफ. 03-73-2011-दो-ए(3).—राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 27 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
-------------	---------------------------	--------------

**उच्चस्तर
इन्दौर संभाग**

1	कु. सपना पगारे	वाणिज्यिक कर अधिकारी
2	श्री युवराज पाटीदार	वा. कर अधिकारी
3	श्री सुनिल बांगर	वा. कर अधिकारी
4	श्री बाबू सिंह इस्के (सश्रेय)	सहा. वा. कर अधिकारी
5	कु. सोनाली वघेल	सहा. वा. कर अधिकारी
6	श्रीमती संध्या सिलावट	वा. कर अधिकारी
7	श्री विनय रावत	सहा. वा. कर अधिकारी
8	श्री दिलीप सिंह कन्डारी	वा. कर निरीक्षक
9	श्रीमती ललिता जीना	कराधान सहायक
10	श्री मुकेश मोरी	सहा. वा. कर अधिकारी
11	श्री पिरथी लाल भूमरकर	वा. कर निरीक्षक
12	श्री मनीष कुमार जोशी	वा. कर निरीक्षक
13	श्री अजीत भाले	कराधान सहायक
14	श्री ऋषि कुमार सूर्यवंशी	वा. कर निरीक्षक
15	श्री हितेन्द्र काशीकर	वा. कर निरीक्षक
16	श्री जीवन सिंह बैस	कराधान सहायक
17	श्रीमती पुष्पा तुरकई	वा. कर निरीक्षक
18	श्री अरुण मिश्र	वा. कर निरीक्षक
19	श्री अभिषेक सिंह यादव	वा. कर निरीक्षक
20	श्री राघवेंद्र जायसवाल (सश्रेय)	वा. कर अधिकारी
21	श्री नवीन दुबे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
22	श्री संतोष कतरौलिया (सश्रेय)	वाणिज्यिक कर अधिकारी

(1)	(2)	(3)
23	श्री अमित कुमार व्यास	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
24	डॉ. प्रियतमा सोनी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
25	श्री राजमणि सिंह	कराधान सहायक
26	श्री नरेन्द्र मोरी	सहा. वा. कर अधिकारी
27	श्री पप्पू सिंह माईड़ा	सहा. वा. कर अधिकारी
28	श्री विक्रम सिंह मण्डलोई	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
29	श्री हेमंत शर्मा	कराधान सहायक
30	श्री सुनिल पॅवार	कराधान सहायक
31	श्री अखिलेश कुमार जैन	कराधान सहायक
32	डॉ. योगेश दायमा	कराधान सहायक
33	श्री अजय शर्मा	कराधान सहायक
34	श्री विकास चव्हाण	कराधान सहायक
35	श्री नितिन कुमार जैन	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
36	श्री देवेन्द्र कुमार जुगतावत	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
37	श्री नवीन कुमार गोस्वामी (सश्रेय).	वाणिज्यिक कर निरीक्षक

ग्वालियर संभाग

38	श्रीमती जय कुमारी गुप्ता	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
39	श्री दातार सिंह इकलोदिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
40	श्री वीरेन्द्र सिंह भदौरिया	कराधान सहायक
41	श्री पारूल अग्रवाल	वाणिज्यिक कर अधिकारी
42	श्री राहुल भटनागर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
43	कु. दीपा नरवरियां	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
44	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	कराधान सहायक
45	कु. स्वाति जैन	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
46	श्री गुरमीत सिंह वाधवा	वाणिज्यिक कर अधिकारी
47	श्री हेमंत सूर्यवंशी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
48	श्री अरूण प्रताप सिंह भदौरिया	कराधान सहायक
49	श्री सतेन्द्र कुमार चौरसिया	वाणिज्यिक कर अधिकारी

सागर संभाग

50	श्री कल्याण सिंह यादव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
51	श्री रविन्द्र कुमार मिश्रा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
52	कु. वैष्णवी पटेल	वाणिज्यिक कर अधिकारी
53	श्री संतोष कुमार खरे	कराधान सहायक
54	श्री बालमुकुन्द चढार	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
55	श्री उमेश कुमार कोरी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
56	श्री राजेन्द्र कुमार कुशराम	सहा. वा. कर अधिकारी

जबलपुर संभाग

57	श्री अजीत सिंह	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
58	श्री आर. बी. सिंह	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
59	श्री आशीष श्रीवास्तव	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
60	श्रीमती रक्षा दुबे (चौबे)	वाणिज्यिक कर अधिकारी

(1)	(2)	(3)
61	श्री अनुपम शर्मा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
62	श्री अनिल कुमार जैन	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
63	श्री गणेश प्रसाद तिवारी	कराधान सहायक
64	श्री अनिल कुमार जैन	कराधान सहायक
65	श्री रविन्द्र कुमार सनोडिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
66	श्रीमती प्रतिमा सोनकेशरिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक

भोपाल संभाग

67	श्री रिधेश्वर कालभोर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
68	श्री उमेश कुमार राठौर	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
69	श्रीमती जयश्री श्रीवास्तव	कराधान सहायक
70	कु. पूनम धुर्वे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
71	श्रीमती माया वानखड़े	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
72	श्री नवीन भारद्वाज	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
73	श्री निर्मल कुमार परिहार	वाणिज्यिक कर अधिकारी
74	श्री अनिल कुमार सेमले	वाणिज्यिक कर निरीक्षक

निम्नस्तर**इन्दौर संभाग**

1	श्री प्रदीप कुमार सिंह	कराधान सहायक
2	श्री अभिषेक उपाध्याय	कराधान सहायक

ग्वालियर संभाग

3	श्री दामोदर धाकड़	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
---	-------------------	-----------------------

जबलपुर संभाग

4	श्री शिवा गुरू	कराधान सहायक
---	----------------	--------------

भोपाल संभाग

5	श्री चिन्धु उइके	वाणिज्यिक कर निरीक्षक
6	श्री कैलाश कुमार ठाकरे	वाणिज्यिक कर निरीक्षक

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2011

क्र. एफ. 03-74-2011-दो-ए(3).—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 27 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित-केवल अधिनियम) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर**ग्वालियर संभाग**

1	श्री विनोद कुमार चौरसिया	राजस्व निरीक्षक
2	श्री दृगपाल सिंह बैस	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
3	श्रीमती मनीषा मिश्रा	राजस्व निरीक्षक
4	श्री महेन्द्र सिंह यादव	राजस्व निरीक्षक
5	श्री प्रमोद सिंह तोमर	राजस्व निरीक्षक
6	श्री संजीव कुमार तिवारी	राजस्व निरीक्षक
7	डॉ. योगेन्द्र बाबू शुक्ल	राजस्व निरीक्षक

इन्दौर संभाग

8	श्री भगवानदास तमखानियां	राजस्व निरीक्षक
---	-------------------------	-----------------

भोपाल संभाग

9	श्री शैलेन्द्र सिंह (सश्रेय)	डिप्टी कलेक्टर
10	कु. रितु चौहान	उप जिलाध्यक्ष
11	श्री राजेश राठौर (सश्रेय)	डिप्टी कलेक्टर
12	श्री ब्रजेश सक्सेना (सश्रेय)	डिप्टी कलेक्टर
13	श्री श्रृंगार श्रीवास्तव (सश्रेय)	डिप्टी कलेक्टर
14	श्री तुप्ति श्रीवास्तव (सश्रेय)	डिप्टी कलेक्टर
15	टीना यादव (सश्रेय)	डिप्टी कलेक्टर
16	श्री अभिजीत अग्रवाल (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
17	श्री अनुराग चौधरी (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
18	श्री अनय द्विवेदी (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
19	श्री गणेश शंकर मिश्रा (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
20	श्री आशीष सिंह	सहायक कलेक्टर
21	श्री भास्कर लाक्षाकार (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
22	श्री कर्मवीर शर्मा (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
23	श्री तरूण राठी	सहायक कलेक्टर
24	श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह (सश्रेय).	सहायक कलेक्टर
25	श्री ओमप्रकाश सनोडियां (सश्रेय).	डिप्टी कलेक्टर

जबलपुर संभाग

26	श्री प्रवीण फुलपगारे	डिप्टी कलेक्टर
27	श्री पुष्पेन्द्र पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक

निम्नस्तर**ग्वालियर संभाग**

1	श्री शिरोमन सिंह	राजस्व निरीक्षक
2	श्री अनिल कुमार स्वर्णकार	राजस्व निरीक्षक
3	श्रीमती सरिता भदौरिया	राजस्व निरीक्षक
4	श्री जगदीश प्रसाद धांगोरियां	राजस्व निरीक्षक
5	श्री चन्द्रपाल सिंह तोमर	राजस्व निरीक्षक
6	श्री रामकुमार जाटव	राजस्व निरीक्षक
7	श्री विमल कुमार कुलश्रेष्ठ	राजस्व निरीक्षक
8	श्री अजय शंकर शर्मा	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
9	श्री प्रदीप नारायण सिंह सिकरवार.	राजस्व निरीक्षक	47	श्री दर्शन लाल नेगी	राजस्व निरीक्षक
10	श्री रामनिवास शर्मा	राजस्व निरीक्षक	48	श्री राजू लोखण्डे	राजस्व निरीक्षक
11	श्री अशोक सिंह तोमर	राजस्व निरीक्षक	49	श्री श्याम सिंह तारे	राजस्व निरीक्षक
12	श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक	50	श्री भैयालाल भील	राजस्व निरीक्षक
13	श्रीमती नीरज मिश्रा	राजस्व निरीक्षक	जबलपुर संभाग		
14	श्री धीरज सिंह परिहार	राजस्व निरीक्षक	51	श्री वीरसिंह चौहान	डिप्टी कलेक्टर
15	श्री उत्तम कुमार शर्मा	राजस्व निरीक्षक	52	श्री रामराज चौधरी	राजस्व निरीक्षक
16	श्री शमशाद मो. खान	नायब तहसीलदार	53	श्री चैनसिंह मार्को	राजस्व निरीक्षक
इन्दौर संभाग			54	श्री रामसेवक कौल	राजस्व निरीक्षक
17	श्री रमेश चन्द्र चौहान	राजस्व निरीक्षक	55	श्री बृजबिहारी दुबे	राजस्व निरीक्षक
18	श्री सकरियां भिड़े	सहा. अधी. भू-अभिलेख	56	श्री सी. एल. चौहान	सहा. अधी. भू-अभिलेख
19	श्री मुशीराम कुमरे	राजस्व निरीक्षक	57	श्री जयसिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
20	श्री बंसत कुमार बरखानियां	राजस्व निरीक्षक	58	श्री प्रेमनारायण सिंह गौड़	राजस्व निरीक्षक
21	श्री रविन्द्र कुमार डाबर	राजस्व निरीक्षक	59	श्री बी. के. सिंह मार्को	राजस्व निरीक्षक
22	श्री रजान रास्तिया	राजस्व निरीक्षक	60	श्री दामोदर प्रसाद दुबे	राजस्व निरीक्षक
23	श्री चन्द्रपाल पाल	राजस्व निरीक्षक	61	श्री भागचन्द्र मनोडियां	नायब तहसीलदार
24	श्री उदयवीर सिंह भावर	राजस्व निरीक्षक	62	श्री हेमन्त कुमार अवधियां	राजस्व निरीक्षक
25	श्री देवराम निहरता	राजस्व निरीक्षक	63	श्री राजेन्द्र प्रसाद झारियां	राजस्व निरीक्षक
26	श्री धुलियां पालियां	राजस्व निरीक्षक	64	श्री प्रसन्न कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक
27	श्री पुनियां परमार	राजस्व निरीक्षक	65	श्री राजेन्द्र प्रसाद सेन	राजस्व निरीक्षक
28	श्री मुन्नालाल वास्कले	राजस्व निरीक्षक	66	श्री राजेश कुमार पटवा	राजस्व निरीक्षक
29	श्री इगुसिंह गणावा	राजस्व निरीक्षक	67	श्री भगवानदास रैदास	राजस्व निरीक्षक
30	श्री खूनीकुमार पंडोले	राजस्व निरीक्षक	68	श्री भागसिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
31	श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा	राजस्व निरीक्षक	69	श्री उमेश सिंह कुशवाहा	राजस्व निरीक्षक
32	श्री आर.पी. सिटोके	राजस्व निरीक्षक	70	श्री चन्द्रभान दिवान	राजस्व निरीक्षक
33	श्री ओमप्रकाश चतुर्वेदी	राजस्व निरीक्षक	71	श्री अजय श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
34	श्री कमलेश पाराशर	राजस्व निरीक्षक	72	श्री रमेश प्रसाद साहू	राजस्व निरीक्षक
35	श्री संतोष पाटील	राजस्व निरीक्षक	73	श्री रतनशाह उइके	राजस्व निरीक्षक
36	श्री वरूण कुमार उपाध्याय	राजस्व निरीक्षक	74	श्री चन्द्रभान सिंह परस्ते	राजस्व निरीक्षक
37	श्री योगेश मलतारे	राजस्व निरीक्षक	75	श्री सुन्दर लाल दुबे	राजस्व निरीक्षक
38	श्री रजनीश उपाध्याय	राजस्व निरीक्षक	शहडोल संभाग		
39	श्री संतोष कुमार कुशवाह	राजस्व निरीक्षक	76	श्री दिनेश कुमार पनिका	राजस्व निरीक्षक
40	श्री रामलाल खेडेकर	राजस्व निरीक्षक	77	श्री दिनेश तिवारी	राजस्व निरीक्षक
41	श्री भागीरथ चौहान	राजस्व निरीक्षक	78	श्री कन्हैयालाल तेकाम	राजस्व निरीक्षक
42	श्री कमलराय सुनहरे	राजस्व निरीक्षक	79	श्री मंगलदास चक्रवर्ती	राजस्व निरीक्षक
भोपाल संभाग			80	श्री लालमणि प्रजापति	राजस्व निरीक्षक
43	श्री मोतीलाल पंथी	राजस्व निरीक्षक	81	श्री के. एम. चौधरी	अधीक्षक
44	श्री श्यामेन्द्र जायसवाल	डिप्टी कलेक्टर	82	श्री बैशाखूराम प्रजापति	राजस्व निरीक्षक
45	श्री धनीराम गनपत अहिरवार	राजस्व निरीक्षक			
46	श्री अंकुर मेश्राम	डिप्टी कलेक्टर			

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2011		(1)	(2)	(3)
क्र. एफ. 03-76-2011-दो-ए (3).—राज्य शासन द्वारा कृषि सेवा कार्यपालन, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र-लेखा प्रथम (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—		22	श्रीमती प्रीति उपाध्याय	सहायक संचालक कृषि
अनु. परीक्षार्थी का नाम		23	श्रीमती दीप्ती यादव	सहायक संचालक कृषि
(1)	(2)	24	कुमारी स्मिता पटेल	सहायक संचालक कृषि
	पदनाम	25	श्री मुकेश वर्मा	सहायक संचालक कृषि
	(3)	26	श्री अमित पाण्डे	सहायक संचालक कृषि
		27	श्री संतोष इवने	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी.
		28	कुमारी अर्चना डोंगरे	सहायक संचालक कृषि
उच्चस्तर				
शहडोल संभाग		ग्वालियर संभाग		
1	श्री विजय देशमुख	29	डॉ. विलमेश कुमार यादव	सहायक संचालक कृषि
2	श्री शोभाराम एस्के	30	श्री राजपति शुक्ल	स.सं.कि.क. तथा कृ. विकास.
3	श्रीमती निशा सिन्हा	31	श्री अमित सिंह	सहायक संचालक कृषि
4	डॉ. प्रेम सिंह	32	श्री गोविन्द मीना	स.सं.कि.क. तथा कृ. विकास.
होशंगाबाद संभाग				
5	श्री शैलेन्द्र राठौर	सागर संभाग		
इन्दौर संभाग		33	श्री भानुप्रकाश शर्मा	सहायक संचालक कृषि
6	श्री दीपक कुमार बेनल	34	श्री राम सिंह बागरी	सहायक संचालक कृषि
7	श्री भारत सिंह सोलंकी	35	श्री संजीव कुमार शर्मा	सहायक संचालक कृषि
8	श्री गोपाल डावर	36	कुमारी दीपिका तिवारी	सहायक संचालक कृषि
9	श्री सचिन जैन	रीवा संभाग		
10	श्रीमती अल्पना वर्मा	37	श्री रमेन्द्र कुमार सिंह	सहायक संचालक कृषि
11	श्रीमती नेहा अवस्थी	38	श्री दिलीप कुमार जाट	सहायक संचालक कृषि
12	कुमारी प्रियंका जैन	39	श्री अजीत कुमार सिंह	सहायक संचालक कृषि
13	श्री सखाराम औसारी	उज्जैन संभाग		
14	श्री आशीष कुमार कनेश	40	श्री केशव सिंह गोयल	सहायक संचालक कृषि
15	श्री शैतान सिंह गरवाल	41	श्री नितेश कुमार यादव	स.सं.कि.क. तथा कृ. विकास.
16	श्री मंगल सिंह डोडवे	42	श्री बनप सिंह वर्मा	स.सं.कि.क. तथा कृ. विकास.
जबलपुर संभाग		43	श्री कमलेश कुमार राठौर	स.सं.कि.क. तथा कृ. विकास.
17	श्री राजेश कुमार खोबरागड़े	44	श्री अशोक कुमार जायसवाल	स.सं.कि.क. तथा कृ. विकास.
18	श्री धीरज कुमार ठाकुर	45	श्रीमती रश्मि जैन	सहायक संचालक कृषि
19	श्री पिन्टू जामोद	46	कुमारी विनीता राय	सहायक संचालक कृषि
20	श्रीमती सरिता सिंह	47	डॉ. यतिन कुमार मेहता	सहायक संचालक कृषि
21	कुमारी स्वाति जायसवाल			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
	भोपाल संभाग				
48	श्री हजारीलाल निमोरिया	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी.	2	श्री फुलेल कुमार रावत	राजस्व निरीक्षक
49	डॉ. अर्चना परमार	सहायक संचालक कृषि	3	श्री खगेश कुमार भलावी	राजस्व निरीक्षक
50	श्री अरूण प्रताप सिंह	सहायक संचालक कृषि	4	श्री पुष्पेन्द्र पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
51	श्रीमती सुरभि आतराम	सहायक संचालक कृषि	5	श्री प्रसन्न कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक
	निम्नस्तर शहडोल संभाग			इन्दौर संभाग	
1	श्री अधनू सिंह मरावी	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी.	6	श्री सकरियां भिड़े	सहा. अधी. भू-अभिलेख
	इन्दौर संभाग			ग्वालियर संभाग	
2	श्री सुरसिंह रावत	सहायक संचालक कृषि	7	श्री राकेश कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक
3	श्री विजय जाट	सहायक संचालक कृषि		भोपाल संभाग	
	जबलपुर संभाग		8	श्री श्रंगार श्रीवास्तव	उप जिलाध्यक्ष
4	श्रीमती अर्चना परते	सहायक संचालक कृषि	9	श्री ब्रजेश सक्सेना	डिप्टी कलेक्टर
5	श्रीमती शिल्पी नेमा	सहायक संचालक कृषि	10	सुश्री तृप्ती श्रीवास्तव	डिप्टी कलेक्टर
	सागर संभाग		11	श्री आशीष सिंह (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
6	श्री अशोक कुमार शर्मा	सहायक संचालक कृषि	12	श्री अनय द्विवेदी (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
	उज्जैन संभाग		13	श्री भास्कर लाक्षाकार	सहायक कलेक्टर
7	श्री श्यामलाल सोलंकी	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी.	14	श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह (सश्रेय).	सहायक कलेक्टर
8	श्रीमती निशा सोलंकी	सहायक संचालक कृषि	15	श्री कर्मवीर शर्मा (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
	भोपाल संभाग		16	श्री गणेश शंकर मिश्रा (सश्रेय).	सहायक कलेक्टर
9	श्री गोविन्द पटेल	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी.	17	श्री अनुराग चौधरी (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
	भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2011		18	श्री तरूण राठी (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
<p>क्र. एफ. 03-77-2011-दो-ए (3).—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र द्वितीय-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—</p>					
अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	19	श्री अभिजीत अग्रवाल (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
(1)	(2)	(3)	20	कुमारी रितु चौहान (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
	उच्चस्तर जबलपुर संभाग		21	श्री शैलेन्द्र सिंह	डिप्टी कलेक्टर
1	श्री सुरेश उपाध्याय	राजस्व निरीक्षक	22	श्री अंकुर मेश्राम	डिप्टी कलेक्टर
	उच्चस्तर जबलपुर संभाग		23	श्री ओमप्रकाश सनोडियां (सश्रेय).	डिप्टी कलेक्टर
	उच्चस्तर जबलपुर संभाग		24	श्री राजेश राठौर (सश्रेय)	डिप्टी कलेक्टर
	उच्चस्तर जबलपुर संभाग		25	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव	सहा. अधी. भू-अभिलेख
	उच्चस्तर जबलपुर संभाग			उज्जैन संभाग	
	उच्चस्तर जबलपुर संभाग		26	श्री वीरसिंह अवासियां (सश्रेय).	नायब तहसीलदार
	उच्चस्तर जबलपुर संभाग			निम्नस्तर सागर संभाग	
	उच्चस्तर जबलपुर संभाग		1	श्री अशोक कुमार मौर्य	नायब तहसीलदार
	उच्चस्तर जबलपुर संभाग		2	श्री बलवान सिंह गौड़	राजस्व निरीक्षक
	उच्चस्तर जबलपुर संभाग		3	श्री मनीराम गौड़	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
	शहडोल संभाग	
4	श्री दिनेश कुमार पनिका	राजस्व निरीक्षक
5	श्री छत्रपाल सिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक
6	श्री कन्हैयालाल तेकाम	राजस्व निरीक्षक
7	श्री गोरेलाल सिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक
8	श्री मंगलदास चक्रवर्ती	राजस्व निरीक्षक
9	श्री श्यामलाल मोंगरे	राजस्व निरीक्षक
10	श्री राजकुमार टांडियां	राजस्व निरीक्षक
11	श्री रामाधार अहिरवार	राजस्व निरीक्षक
12	श्री के. एम. चौधरी	अधीक्षक
13	श्री बैशाखूराम प्रजापति	राजस्व निरीक्षक

जबलपुर संभाग

14	श्री रामराज चौधरी	राजस्व निरीक्षक
15	श्री चैनसिंह मार्को	राजस्व निरीक्षक
16	श्री रविशंकर धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
17	श्री सुन्दर लाल दुबे	राजस्व निरीक्षक
18	श्री गोपीचन्द्र पवार	राजस्व निरीक्षक
19	श्री रामप्रताप सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
20	श्री राजकुमार खरे	राजस्व निरीक्षक
21	श्री तीरथ प्रसाद अक्षरया	राजस्व निरीक्षक
22	श्री रामसेवक कौल	राजस्व निरीक्षक
23	श्री चंदकिशोर ककोडिया	राजस्व निरीक्षक
24	श्री बृजबिहारी दुबे	राजस्व निरीक्षक
25	श्री जयसिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
26	श्री प्रेमनारायण सिंह गौड़	राजस्व निरीक्षक
27	श्री बी. के. सिंह मार्को	राजस्व निरीक्षक
28	श्री मंगलसिंह मार्को	सहा. अधी. भू-अभिलेख
29	श्री राजेश तिवारी	राजस्व निरीक्षक
30	श्री दामोदर प्रसाद दुबे	राजस्व निरीक्षक
31	श्री भागचन्द्र सनोडियां	नायब तहसीलदार
32	श्री हेमन्त कुमार अवधियां	राजस्व निरीक्षक
33	श्री राजेन्द्र प्रसाद झारियां	राजस्व निरीक्षक
34	श्री वीरेन्द्र कुमार द्विवेदी	राजस्व निरीक्षक
35	श्री जगदीश प्रसाद सिंगौर	राजस्व निरीक्षक
36	श्री राजेश कुमार पटवा	राजस्व निरीक्षक
37	श्री भरत सिंह राय	राजस्व निरीक्षक
38	श्री रमेश कुमार मेरावी	राजस्व निरीक्षक
39	श्री भागसिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
40	श्री तेजलाल धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
41	श्री राजूलाल नामदेव	राजस्व निरीक्षक
42	श्री राजेन्द्र सिंह तेकाम	राजस्व निरीक्षक
43	श्री रतनशाह उइके	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
44	श्री अमृतलाल धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
45	श्री चन्द्रभान सिंह	राजस्व निरीक्षक
46	श्री भगवान दास रैदास	राजस्व निरीक्षक
47	श्री नारायण प्रसाद कुशराम	राजस्व निरीक्षक
48	श्री रमेश प्रसाद साहू	राजस्व निरीक्षक
49	श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
50	श्री उमेश सिंह कुशवाहा	राजस्व निरीक्षक
51	श्री सुन्दरलाल धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
52	श्री अजय श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
53	श्री चन्द्रभान दीवान	राजस्व निरीक्षक
54	श्री चरणसिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक

इन्दौर संभाग

55	श्री रमेश चन्द्र चौहान	राजस्व निरीक्षक
56	श्री मुंशीराम कुमरे	राजस्व निरीक्षक
57	श्री बंसत कुमार बरखानियां	राजस्व निरीक्षक
58	श्री रविन्द्र कुमार डाबर	राजस्व निरीक्षक
59	श्री रजान सस्तियां	राजस्व निरीक्षक
60	श्री छगनलाल नागराज	राजस्व निरीक्षक
61	श्री चन्द्रपाल पाल	राजस्व निरीक्षक
62	श्री उदयवीर सिंह भावर	राजस्व निरीक्षक
63	श्री योगेन्द्र राजवैद्य	राजस्व निरीक्षक
64	श्री देवराम निहरता	राजस्व निरीक्षक
65	श्री धुलियां पालियां	राजस्व निरीक्षक
66	श्री पुनियां परमार	राजस्व निरीक्षक
67	श्री मुन्ना लाल वास्कले	राजस्व निरीक्षक
68	श्री धनजी गरवाल	राजस्व निरीक्षक
69	श्री रणजीत सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक
70	श्री इगुसिंह गणावा	राजस्व निरीक्षक
71	श्री खूनी कुमार पंडोल	राजस्व निरीक्षक
72	श्री रामदेव नैयर	राजस्व निरीक्षक
73	श्री भगवान दास तमखानियां	राजस्व निरीक्षक
74	श्री आर. पी. सिटोके	राजस्व निरीक्षक
75	श्री ओमप्रकाश चतुर्वेदी	राजस्व निरीक्षक
76	श्री सुनिल कुमार बागुल	राजस्व निरीक्षक
77	श्री विनोद कुमार यादव	राजस्व निरीक्षक
78	श्री गजराज सिंह	राजस्व निरीक्षक
79	श्री मगनसिंह मण्डलोई	सहा. अधी. भू-अभिलेख
80	श्री अमर चन्द यादव	राजस्व निरीक्षक
81	श्री मदनलाल टंगारे	राजस्व निरीक्षक

ग्वालियर संभाग

82	श्री शिरोमन सिंह	राजस्व निरीक्षक
----	------------------	-----------------

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
83	श्री विनोद कुमार चौरसियां	राजस्व निरीक्षक	भोपाल संभाग		
84	श्री अनिल कुमार स्वर्णकार	राजस्व निरीक्षक	126	श्री प्रहलाद सिंह मीना	राजस्व निरीक्षक
85	श्री दृगपाल सिंह बैस	राजस्व निरीक्षक	127	श्री मोतीलाल पंथी	राजस्व निरीक्षक
86	श्री महेश कुमार सोलंकी	राजस्व निरीक्षक	128	श्री भैयालाल भील	राजस्व निरीक्षक
87	श्री रमाशंकर शर्मा	राजस्व निरीक्षक	129	श्री रूपसिंह मीणा	राजस्व निरीक्षक
88	श्री भूदेव सिंह महोबियां	राजस्व निरीक्षक	130	श्री मनोहर कुल्हारे	राजस्व निरीक्षक
89	श्रीमती सुनीता देहलवार	राजस्व निरीक्षक	131	श्री राजू लोखण्डे	राजस्व निरीक्षक
90	श्री रविशंकर शर्मा	राजस्व निरीक्षक	132	श्री लट्टरीलाल करोरियां	सहा. अधी. भू-अभिलेख
91	श्री देवसिंह तोमर	सहा. अधी. भू-अभिलेख	133	श्री दर्शन लाल नेगी	राजस्व निरीक्षक
92	श्रीमती मनीषा मिश्रा	राजस्व निरीक्षक	134	श्री दीपक कुमार वैद्य	डिप्टी कलेक्टर
93	श्रीमती सरिता भदौरियां	राजस्व निरीक्षक	135	श्री राकेश पिप्पल	राजस्व निरीक्षक
94	श्रीमती लक्ष्मी सोलंकी	राजस्व निरीक्षक	136	श्री श्यामेन्द्र जयसवाल	डिप्टी कलेक्टर
95	श्री पंकज शर्मा	राजस्व निरीक्षक	137	सुश्री टीना यादव	डिप्टी कलेक्टर
96	श्री अशोक कुमार सिंह राजपूत.	राजस्व निरीक्षक	138	श्री लुहार सिंह चिचाम	सहा. अधी. भू-अभिलेख
97	श्री जगदीश प्रसाद धांगोरियां	राजस्व निरीक्षक	139	श्री राजेश कुमार धाड़से	राजस्व निरीक्षक
98	श्री शिवसिंह कोरकू	राजस्व निरीक्षक	140	श्री राजेश्याम राठौर	राजस्व निरीक्षक
99	श्री राजेश शर्मा	राजस्व निरीक्षक	141	श्री रामजी तिवारी	राजस्व निरीक्षक
100	श्री चन्द्रपाल सिंह तोमर	राजस्व निरीक्षक	142	श्री श्याम सिंह तारे	राजस्व निरीक्षक
101	श्री रामकुमार जाटव	राजस्व निरीक्षक	उज्जैन संभाग		
102	श्री गोपाल सिंह तोमर	राजस्व निरीक्षक	143	श्री गोवर्धन लाल राजौरियां	राजस्व निरीक्षक
103	श्री महेन्द्र सिंह यादव	राजस्व निरीक्षक	144	श्री मांगीलाल चौहान	राजस्व निरीक्षक
104	श्री प्रदीप नारायण सिंह सिकरवार.	राजस्व निरीक्षक	145	श्री रामेश्वर डामर	राजस्व निरीक्षक
105	श्री मुन्ना सिंह गुर्जर	राजस्व निरीक्षक	146	श्री भीमसिंह खराड़ी	राजस्व निरीक्षक
106	श्री रामनिवास शर्मा	राजस्व निरीक्षक	147	श्री सुरेश चन्द्र मिश्रा	राजस्व निरीक्षक
107	श्री लज्जाराम राजौरियां	राजस्व निरीक्षक	148	श्री जयदेव शर्मा	सहा. अधी. भू-अभिलेख
108	श्री चन्द्रमोहन शर्मा	राजस्व निरीक्षक	149	श्री रघुनाथ मचार	राजस्व निरीक्षक
109	श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी	राजस्व निरीक्षक	भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2011		
110	श्री अशोक कुमार सिंह तोमर	राजस्व निरीक्षक	क्र. एफ. 03-78-2011-दो-ए (3).—राज्य शासन द्वारा सहायक		
111	श्री प्रमोद सिंह तोमर	राजस्व निरीक्षक	कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख,		
112	श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक	नायब तहसीलदार, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख एवं राजस्व		
113	श्री कृष्ण कुमार भोला	राजस्व निरीक्षक	निरीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 26 जुलाई 2011 को		
114	श्री संजीव कुमार तिवारी	राजस्व निरीक्षक	प्रश्नपत्र-प्रथम प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया—भाग “बी”		
115	श्री राकेश कुमार ठोडी	राजस्व निरीक्षक	एवं “सी” (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में		
116	श्री नीरज मिश्रा	राजस्व निरीक्षक	सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—		
117	श्री इलखुराम भगत	कार्यालय अधीक्षक	अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
118	श्री नरेन्द्र कुमार जैन	राजस्व निरीक्षक	(1)	(2)	(3)
119	श्री रहीम खान	राजस्व निरीक्षक	उच्चस्तर		
120	श्री रामप्रसाद बरेलियां	राजस्व निरीक्षक	जबलपुर संभाग		
121	डॉ. योगेन्द्र बाबू शुक्ल	राजस्व निरीक्षक	1	श्री कुमारी सुनीता खण्डायत	डिप्टी कलेक्टर
122	श्री धीरज सिंह परिहार	राजस्व निरीक्षक			
123	श्री उत्तम कुमार शर्मा	राजस्व निरीक्षक			
124	श्री रामनिवास शर्मा	राजस्व निरीक्षक			
125	श्री शमशाद मोहम्मद खान	नायब तहसीलदार			

(1)	(2)	(3)
भोपाल संभाग		
2	सुश्री तन्वी सुन्दरियाल	सहायक कलेक्टर
3	श्री अभिजीत अग्रवाल	सहायक कलेक्टर
4	श्री अनुराग चौधरी	सहायक कलेक्टर
5	श्री अनय द्विवेदी	सहायक कलेक्टर
6	श्री गणेश शंकर मिश्रा	सहायक कलेक्टर

निम्नस्तर

ग्वालियर संभाग

1	श्री विनोद कुमार चौरसियां	राजस्व निरीक्षक
2	श्रीमती सुनीता देहलवार	राजस्व निरीक्षक
3	श्री अशोक कुमार सिंह राजपूत	राजस्व निरीक्षक
4	श्री शिवसिंह कोरकू	राजस्व निरीक्षक
5	श्री अशोक सिंह तोमर	राजस्व निरीक्षक

इन्दौर संभाग

6	श्री रमेश चन्द्र चौहान	राजस्व निरीक्षक
7	श्री मुंशीराम कुमरे	राजस्व निरीक्षक
8	श्री देवराम निहरता	राजस्व निरीक्षक
9	श्री मुन्ना लाल वास्कले	राजस्व निरीक्षक
10	श्री इगुसिंह गणावा	राजस्व निरीक्षक
11	श्री खूनीकुमार पंडोले	राजस्व निरीक्षक
12	श्री प्रकाश चंद शर्मा	राजस्व निरीक्षक
13	श्री राजेश सरवटे	राजस्व निरीक्षक
14	श्री भगवानदास तमखानियां	राजस्व निरीक्षक
15	श्री आर.पी. सिटोके	राजस्व निरीक्षक
16	श्री रामजीवन लभानियां	राजस्व निरीक्षक
17	श्री त्रिलोक चन्द्र नागोत्रा	राजस्व निरीक्षक
18	श्री सुन्दरलाल ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
19	श्री दीपक कुमार गीते	राजस्व निरीक्षक

जबलपुर संभाग

20	श्री रामराज चौधरी	राजस्व निरीक्षक
21	श्री प्रेमनारायण सिंह गौड़	राजस्व निरीक्षक
22	श्री मनीराम आमों	राजस्व निरीक्षक

शहडोल संभाग

23	श्री दिनेश कुमार पनिका	राजस्व निरीक्षक
24	श्री कन्हैयालाल तेकाम	राजस्व निरीक्षक
25	श्री मंगलदास चक्रवर्ती	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
26	श्री आशीष सिंह	सहायक कलेक्टर
27	श्री भास्कर लाक्षाकार	सहायक कलेक्टर
28	श्री कर्मवीर शर्मा	सहायक कलेक्टर
29	कुमारी शिल्पा	सहायक कलेक्टर
30	श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह	सहायक कलेक्टर
31	श्री अंकुर मेश्राम	डिप्टी कलेक्टर

उज्जैन संभाग

32	श्री गोवर्धन लाल राजौरियां	राजस्व निरीक्षक
----	----------------------------	-----------------

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2011

क्र. एफ. 03-79-2011-दो-ए (3).—राज्य शासन द्वारा जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 28 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

इन्दौर संभाग

1	श्री माथन सिंह उइके	सहायक संचालक
---	---------------------	--------------

जबलपुर संभाग

2	श्रीमती बबीता इन्दु मिश्रा	सहायक संचालक
---	----------------------------	--------------

भोपाल संभाग

3	श्री आशीष कुमार शर्मा	सहायक संचालक
---	-----------------------	--------------

शहडोल संभाग

4	श्री गुलाब सिंह मर्सकोले	सहायक संचालक
---	--------------------------	--------------

निम्नस्तर

ग्वालियर संभाग

1	श्री संजीव कुमार पाठक	सहायक संचालक
---	-----------------------	--------------

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2011

क्र. एफ. 03-80-2011-दो-ए (3).—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख तथा आदिमजाति कल्याण विभाग के

अधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 26 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र प्रथम भाग-ए-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

**उच्चस्तर
भोपाल संभाग**

1	श्री विवेक कुमार पाण्डेय	जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग.
---	--------------------------	-------------------------------------

क्र. एफ. 03-81-2011-दो-ए (3).—राज्य शासन द्वारा पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित-टिप्पणी रहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

**उच्चस्तर
भोपाल संभाग**

1	श्री दिनेश कुमार गौतम	जिला पंजीयक
2	कुमारी निधि जैन	जिला पंजीयक
3	श्रीमती ऋतम्भरा द्विवेदी	जिला पंजीयक

इन्दौर संभाग

4	श्री महेश कुमार कश्यप	उप पंजीयक
5	श्री चंचल कुमार जैन	उप पंजीयक

जबलपुर संभाग

6	श्री इकबाल मोहम्मद	उप पंजीयक
7	कुमारी चित्रा राय	उप पंजीयक

सागर संभाग

8	श्री विकास कुमार जैन	उप पंजीयक
9	कुमारी जागृति पटैरियां	उप पंजीयक
10	श्री प्रवीण कुमार सिंह	उप पंजीयक

**निम्नस्तर
भोपाल संभाग**

1	डॉ. पवन कुमार अहिरवाल	जिला पंजीयक
2	कुमारी सपना स्मृति खेमरियां	जिला पंजीयक

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

3	डॉ. श्रीमती मंजुलता पटेल	जिला पंजीयक
4	कुमारी मधुलिका सिंह	उप पंजीयक
5	कुमारी विभा मरकाम	जिला पंजीयक
6	श्री स्वप्नेश शर्मा	जिला पंजीयक
7	डॉ. अमरेश नायडू	जिला पंजीयक
8	सुश्री क्षिप्रा सेन	जिला पंजीयक
9	सुश्री अन्जू मिश्रा	उप पंजीयक
10	श्री प्रशांत साहू	उप पंजीयक
11	श्री विवेक कुमार दुबे	जिला पंजीयक

उज्जैन संभाग

12	श्री बायसिया निंगवाल	उप पंजीयक
13	श्री बृजेन्द्र कुमार शुक्ला	उप पंजीयक

होशंगाबाद संभाग

14	श्री राहुल कुमार बागड़े	उप पंजीयक
----	-------------------------	-----------

ग्वालियर संभाग

15	श्री अभिषेक चतुर्वेदी	उप पंजीयक
16	कुमारी शिखा पोरस	उप पंजीयक
17	कुमारी दिव्या अवस्थी	उप पंजीयक
18	कुमारी अर्चना दिनकर	उप पंजीयक

इन्दौर संभाग

19	कुमारी सावित्री धोनी	उप पंजीयक
20	श्रीमती अंजली मिश्रा	उप पंजीयक
21	कुमारी प्रिया विश्णोई	उप पंजीयक
22	कुमारी निर्मला चौहान	उप पंजीयक
23	श्री मणीशंकर वर्मा	उप पंजीयक
24	श्री नवीन कुमार जैन	उप पंजीयक

जबलपुर संभाग

25	श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव	उप पंजीयक
26	श्री बद्रीप्रसाद साहू	उप पंजीयक

सागर संभाग

27	श्री राजललन पाण्डेय	पंजीयन लिपिक
----	---------------------	--------------

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2011

(1)

(2)

(3)

क्र. एफ. 03-84-2011-दो-ए (3).—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

उज्जैन संभाग

अनु. परीक्षार्थी का नाम पदनाम
(1) (2) (3)

26 श्री जमना लाल कोलार सहायक वन संरक्षक

भोपाल संभाग

होशंगाबाद संभाग

1 श्री नरसिंह बघेल सहायक वन संरक्षक

ग्वालियर संभाग

2 श्री सी.एस. राठौर सहायक वन संरक्षक
3 श्री ए. के. तिवारी सहायक वन संरक्षक
4 श्री जी. के. चन्द वन क्षेत्रपाल
5 श्री रामनारायण जाटव सहायक वन संरक्षक

सागर संभाग

6 श्री रामप्रकाश त्रिपाठी वन क्षेत्रपाल
7 श्री एन. के. शर्मा वन क्षेत्रपाल
8 श्री जगदीश प्रसाद रावत वन क्षेत्रपाल

इन्दौर संभाग

9 श्री मुकाम सिंह चौहान सहायक वन संरक्षक
10 श्री बी. पी. पटेल वन क्षेत्रपाल
11 श्री सभाराज सिंह परिहार वन क्षेत्रपाल

जबलपुर संभाग

12 श्री सुनील कुमार वास्तव सहायक वन संरक्षक
13 श्री एस. एल. सोनवे सहायक वन संरक्षक
14 श्री अरूण प्रताप सिंह वन क्षेत्रपाल
15 श्री मुन्नालाल कुलेश सहायक वन संरक्षक
16 श्री हरीश कुमार सोनी वन क्षेत्रपाल
17 श्री डी. के. श्रीवास्तव सहायक वन संरक्षक
18 श्री दिलीप पंचभाई सहायक वन संरक्षक
19 श्रीमती राखी नंदा वन मण्डलाधिकारी
20 श्री एम. पी. ताम्रकार सहायक वन संरक्षक
21 श्री विजय सिंह कुशरे सहायक वन संरक्षक
22 श्री तेजभान पाण्डेय वन क्षेत्रपाल

27 श्री सुनिल कुमार भारद्वाज वन क्षेत्रपाल
28 श्री जी. एस. बघेल सहायक वन संरक्षक
29 श्री महेश चन्द्र वर्मा सहायक वन संरक्षक
30 श्री सुधीर कुमार पाठक वन क्षेत्रपाल
31 श्री मनोज कुमार सिंह भदौरियां वन क्षेत्रपाल
32 श्री पी. डी. छोड़के सहायक वन संरक्षक
33 श्री जे. सी. दिलवारियां सहायक वन संरक्षक
34 श्री देवेन्द्र कुमार मिश्र सहायक वन संरक्षक
35 श्री विनोद वर्मा वन क्षेत्रपाल

रीवा संभाग

36 श्री डी. सी. घोरमारे सहायक वन संरक्षक
37 श्री जी. आर. सिंह वन क्षेत्रपाल

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2011

क्र. एफ. 03-85-2011-दो-ए (3).—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख तथा न्यायिक विभाग के अधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 अगस्त 2011 को प्रश्नपत्र तृतीय प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. परीक्षार्थी का नाम पदनाम
(1) (2) (3)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

1 श्री मोतीलाल पंथी राजस्व निरीक्षक
2 श्री मनोहर कुलहारे राजस्व निरीक्षक
3 श्री शैलेन्द्र सिंह (सश्रेय) डिप्टी कलेक्टर
4 श्री बृजेश सक्सेना डिप्टी कलेक्टर
5 श्री श्रंगार श्रीवास्तव डिप्टी कलेक्टर
6 कुमारी तन्वी सुन्दरियाल सहायक कलेक्टर (सश्रेय).

(1)	(2)	(3)
61	श्री कुंजबिहारी रघुवंशी	सहा. अधी. भू-अभिलेख
62	रामकैलाश कौल	राजस्व निरीक्षक
63	श्री फुलेल कुमार रावत	राजस्व निरीक्षक
64	श्री खगेश कुमार भलावी	राजस्व निरीक्षक
65	श्री झामसिंह इरकिरा	राजस्व निरीक्षक
66	श्री दामोदर प्रसाद दुबे	राजस्व निरीक्षक
67	श्री भागचन्द सनोडियां	नायब तहसीलदार
68	श्री राजेश कुमार दुबे	राजस्व निरीक्षक
69	श्री भरत सिंह राय	राजस्व निरीक्षक
70	श्री हर्षवर्धन रामटेके	राजस्व निरीक्षक
71	श्री नारदसिंह पन्डे	राजस्व निरीक्षक
72	श्री भागसिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
73	श्री रमेश प्रसाद साहू	राजस्व निरीक्षक
74	श्री अजय श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
75	श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
76	श्री उमेश सिंह कुशवाहा	राजस्व निरीक्षक
77	श्री चन्द्रभान सिंह परस्ते	राजस्व निरीक्षक
78	श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
79	श्री रतनशाह उड्के	राजस्व निरीक्षक

उज्जैन संभाग

80	श्री गोवर्धनलाल राजौरियां	राजस्व निरीक्षक
81	श्री रतनलाल डामोर	राजस्व निरीक्षक
82	श्री जगदीश कुमार शर्मा	सहा. अधी. भू-अभिलेख

शहडोल संभाग

83	श्री छत्रपाल सिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक
84	श्री दिनेश तिवारी	राजस्व निरीक्षक
85	श्री कन्हैया लाल तेकाम	राजस्व निरीक्षक
86	श्री मंगलदास चक्रवर्ती	राजस्व निरीक्षक
87	श्री श्यामलाल मोंगरे	राजस्व निरीक्षक
88	श्री मानसिंह आमो	राजस्व निरीक्षक
89	श्री ललित कुमार धार्वे	राजस्व निरीक्षक
90	श्री वैशाखूराम प्रजापति	राजस्व निरीक्षक

होशंगाबाद संभाग

91	श्री कर्मवीर शर्मा	सहायक कलेक्टर
----	--------------------	---------------

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, उपसचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2011

क्र. एफ-1 (बी)-30-96-ई-चार.—राज्य शासन एतद्द्वारा संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्यप्रदेश ग्वालियर का पदनाम परिवर्तित कर "आयुक्त सह संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा ग्वालियर" किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय चौबे, अवर सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2011

क्र. एफ. 20-32-2008-बी-ग्यारह.—मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 (क्र. 21 सन् 2008) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति, राज्य स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति और जिला स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति को समुचित कृत्य तथा कार्यकरण के लिए नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक समिति के सामने दर्शायी गई नोडल एजेंसी नियुक्त करती है :-

सारणी

समिति (1)	नोडल एजेंसी (2)
शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति.	मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल.
राज्य स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति.	—तदैव—
जिला स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति.	संबंधित जिले का जिला व्यापार और उद्योग केन्द्र.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. सोलंकी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2011

क्र. एफ. 20-32-2008-बी-ग्यारह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की

अधिसूचना क्रमांक एफ 20-32-2008-बी-ग्यारह, भोपाल दिनांक 13 दिसम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. सोलंकी, उपसचिव.

Bhopal, the 13th December 2011

No. F-20-32-08-B-XI.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Investment Facilitation Act, 2008 (21 of 2008), the State Government, hereby appoints Nodal Agency for proper Functioning and working of Apex Level Investment Promotion Empowered Committee, State Level Investment Promotion Empowered committee and District Level Investment Promotion Empowered committee as shown against each committee given in the Table Below :—

TABLE

Committee (1)	Nodal Agency (2)
Apex Level Investment Promotion Empowered Committee.	Madhya Pradesh Trade and Investment Facilitation Corporation Limited, Bhopal.
State Level Investment Empowered Committee.	—do—
District Level, Level Investment Empowered Committee.	District Trade and Industries Centre of the concerned District.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
M. S. SOLANKI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2011

क्र. एफ-10-4-04-बी-ग्यारह.—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि वह प्रयोजन जिसके लिए नेशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड को राहत प्रदान की गई थी, अभी भी विद्यमान है और यह आवश्यक है कि उक्त उद्योग को सहायता उपक्रम के रूप में घोषणा के प्रवर्तन की कालावधि "एक वर्ष" के लिए बढ़ाई जाये।

2. अतएव, मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम अधिनियम, 1978 (विशेष उपबंध) क्रमांक-32 सन् 1978 की धारा 3 के परन्तुक द्वारा

प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा :—

- (1) अधिसूचना क्रमांक एफ-9-1-94-11-डी-बी, दिनांक 19 दिसम्बर 2003 की प्रवर्तक कालावधि के दिनांक 1 अप्रैल 2010 से और एक वर्ष की कालावधि के लिये बढ़ाती है, और

उक्त प्रयोजन के लिए अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के पैरा-2 में शब्द एक वर्ष के स्थान पर नौ वर्ष प्रतिस्थापित किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. सोलंकी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2011

पृ. क्र. एफ-10-4-04-बी-ग्यारह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-4-04-बी-ग्यारह, दिनांक 14 दिसम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. सोलंकी, उपसचिव.

Bhopal, the 14th December 2011

No. F-10-4-04-B-XI.—WHEREAS, the State Government is satisfied that the purpose for which relief was given to "National Textile Corporation (Madhya Pradesh) Limited," still continues and it is necessary to extend the period of operation of the declaration of the said industry to be a relief undertaking for a further period of one year.

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by the proviso to Section 3 of the Madhya Pradesh Sahayta Upkaram (Vishesh Upabandh) Sanshodhan Act, 1978 (No. 32 of 1978), the State Government hereby:—

- (1) Extends the period of operation of the Notification F. 9-1-94-D-B-XI, dated 19th December 2003 for a further period of one year from 1st April 2010 and

- (2) Make the following amendments in the said notification for the said purpose.

AMENDMENT

In the said notification in Paragraph 2 for the words "One year" the words "nine years" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
M. S. SOLANKI, Dy. Secy.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2011

क्र. एफ-1(ए)-214-96-ब-2(दो).—श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (रेल), भोपाल को दिनांक 19 दिसम्बर से 28 दिसम्बर 2011 तक दस दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 17 एवं 18 दिसम्बर 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में गृह नगर यात्रा के बदले में सपरिवार "लेह एवं जम्मू कश्मीर" परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है:—

- | | | | |
|----|----------------------|---|--------|
| 1. | श्री आर. के. गुप्ता | — | स्वयं |
| 2. | श्रीमती चेतना गुप्ता | — | पत्नी |
| 3. | कु. अनुमेहा गुप्ता | — | पुत्री |
| 4. | रोहित गुप्ता | — | पुत्र |

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3) उक्त अवकाश अवधि में श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (रेल), भोपाल का कार्य पुलिस अधीक्षक, रेल, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (रेल), भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (रेल), भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाशकाल में श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए)-266-86-ब-2(दो).—श्री के. सी. वर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, आर. ए. पी. टी. सी., इन्दौर को दिनांक 22 दिसम्बर 2011 से 26 दिसम्बर 2011 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश, स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में गृह नगर सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार "पटियाला (पंजाब)" परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है:—

- | | | | |
|----|--------------------|---|-------|
| 1. | श्री के. सी. वर्मा | — | स्वयं |
| 2. | श्रीमती नीलू वर्मा | — | पत्नी |
| 3. | कुनाल वर्मा | — | पुत्र |

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री के. सी. वर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, आर. ए. पी. टी. सी., इन्दौर का कार्य श्री पवन श्रीवास्तव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, आर. ए. पी. टी. सी., इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. वर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, आर. ए. पी. टी. सी., इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. सी. वर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, आर. ए. पी. टी. सी., इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री के. सी. वर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. वर्मा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए)-188-91-ब-2(दो).—श्री एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन, ग्वालियर को दिनांक 26 दिसम्बर 2011 से 31 दिसम्बर 2011 तक छः दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 25 दिसम्बर 2011 एवं 1 जनवरी 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री डी. पी. गुसा, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल रेंज, मुरैना द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन, ग्वालियर के कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)-55-2000-ब-2(दो).—श्री ए. एस. चौधरी, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, ग्वालियर रेंज, ग्वालियर को दिनांक 12 दिसम्बर 2011 से 24 दिसम्बर 2011 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 10, 11 एवं 25 दिसम्बर 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन, द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में भारत भ्रमण की सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार “रामेश्वरम, कन्याकुमारी, मदुरै एवं लक्षद्वीप” परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है:—

- | | | | |
|----|--------------------|---|-------|
| 1. | श्री ए. एस. चौधरी | — | स्वयं |
| 2. | श्रीमती किरन चौधरी | — | पत्नी |
| 3. | निशान्त चौधरी | — | पुत्र |

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री ए. एस. चौधरी, भापुसे को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

(3) उक्त अवकाश अवधि में श्री ए. एस. चौधरी, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, ग्वालियर रेंज, ग्वालियर का कार्य डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, भापुसे, सेनानी 2री वाहिनी, विसबल, ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(4) अवकाश से लौटने पर श्री ए. एस. चौधरी, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, ग्वालियर रेंज, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(5) श्री ए. एस. चौधरी, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, ग्वालियर रेंज, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका 3 में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(6) अवकाशकाल में श्री ए. एस. चौधरी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. एस. चौधरी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)-89-2008-ब-2(दो).—पुलिस मुख्यालय के आदेश क्रमांक 74/11, दिनांक 2 दिसम्बर 2011 द्वारा श्रीमती टी. अमोंगला अय्यर, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, नीमच को दिनांक 23 दिसम्बर 2011 से 7 जनवरी 2012 तक कुल सोलह दिवस के स्वीकृत अर्जित अवकाश की अवधि में राज्य शासन द्वारा श्रीमती टी. अमोंगला अय्यर, भापुसे को खण्ड वर्ष 2010-2013 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-2011 में गृह नगर यात्रा की पात्रता के तहत “कोहिमा (नागालैण्ड)” परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

- | | | | |
|----|---------------------------|---|-------|
| 1. | श्रीमती टी. अमोंगला अय्यर | — | स्वयं |
| 2. | श्री नकुशी चुव्वा वेलिंग | — | पति |

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2011

क्र. एफ-1(ए)-98-2008-ब-2(दो).—पुलिस मुख्यालय के आदेश क्र. 75/11, दिनांक 7 दिसम्बर 2011 द्वारा श्री आकाश जिन्दल, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ को दिनांक 13 दिसम्बर 2011 से दिनांक 21 दिसम्बर 2011 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश, स्वीकृत किया गया है। राज्य शासन द्वारा उक्त अवकाश अवधि में उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में गृह नगर यात्रा के बदले में सपरिवार “हैवलॉक आईसलैण्ड (अण्डमान निकोबार)” परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है:—

- | | | | |
|----|---------------------------|---|--------|
| 1. | श्री आकाश जिन्दल | — | स्वयं |
| 2. | श्रीमती रूचिका जैन जिन्दल | — | पत्नी |
| 3. | कु. आरणा | — | पुत्री |

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री आकाश जिन्दल, भापुसे को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

क्र. एफ-1(ए)-85-99-ब-2(दो).—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 दिसम्बर 2011 श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर रेंज, छतरपुर को दिनांक 19 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 2011 तक तेरह दिवस के स्वीकृत अर्जित अवकाश की अवधि में राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में गृह नगर यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार “मालथौन जिला सागर” परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है:—

- | | | | |
|----|----------------------|---|-------|
| 1. | श्री वेदप्रकाश शर्मा | — | स्वयं |
| 2. | डॉ. पुष्पांजली शर्मा | — | पत्नी |
| 3. | वेदार्थ शर्मा | — | पुत्र |

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, अपर मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2011

क्र. 5923-इक्कीस-अ(स्था.).—श्री के. डी. खान, प्रमुख सचिव, विधि को दिनांक 6 से 8 नवम्बर 2011 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश पूर्व में स्वीकृत अवकाश के तारतम्य में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया है.

अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भते उसी दर पर देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व प्राप्त होते.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. डी. खान, प्रमुख सचिव, विधि अवकाश पर नहीं जाते तो विधि एवं विधि परामर्शी के पद पर कार्यरत रहते.

अतः उनके खाते में शेष 239 दिन के अर्जित अवकाश की पात्रता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेश कुमार गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश

रीवा, दिनांक 12 दिसम्बर 2011

क्र. 33-वरिष्ठ लिपिक-2-2011.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एस 3-2-99-1-4, दिनांक 30 मार्च 99 द्वारा जिले के भीतर तीन स्थानीय अवकाशों की घोषणा करने के लिये अधिकृत करने फलस्वरूप सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 2 के अनुक्रमांक 4 की कण्डिका 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एस. एन. रूपला, कलेक्टर, रीवा निम्नलिखित दिनांक/दिन/त्यौहार के लिये 2012 के लिये जिला रीवा में स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्रमांक (1)	दिनांक (2)	दिन (3)	त्यौहार अवकाश का नाम (4)
1	7-3-2012	बुधवार	होली (होलिका दहन)
2	23-7-2012	सोमवार	नागपंचमी
3	15-10-2012	सोमवार	सर्वपितृमोक्ष अमावस्या

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालयों/उप-कोषालयों तथा बैंकों पर लागू नहीं होंगे.

एस. एन. रूपला, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

बालाघाट, दिनांक 13 दिसम्बर 2011

क्र. 11660-स.व.लि.-2011.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2-1999-1-4, भोपाल दिनांक 30 मार्च 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, विवेक कुमार पोरवाल, कलेक्टर, बालाघाट वर्ष 2012 हेतु जिला बालाघाट के लिए निम्नांकित तिथियों को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्रमांक (1)	त्यौहार का नाम (2)	स्थानीय अवकाश (3)	
		दिनांक	दिन
1	भाई दूज (होली)	9-3-2012	शुक्रवार
2	दुर्गा नवमी	23-10-2012	मंगलवार
3	भाईदूज (दीपावली)	15-11-2012	गुरुवार

यह अवकाश कोषालयों/उप-कोषालयों एवं बैंकों के लिये लागू नहीं होगा.

विवेक कुमार पोरवाल, कलेक्टर.

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार
कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2011

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2011

क्र. 3268.—मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार चिकित्सा सहायता योजना, 2004 की कंडिका 2.6 सहपठित यथा संशोधित कंडिका 5.6 के प्रावधानानुसार मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा अनुसूची-एक में प्राधिकृत अस्पतालों की अनुसूची में निम्नांकित अस्पताल/नर्सिंग होम्स को एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से आगामी आदेश तक जोड़ा जाता है:—

“अनुसूची-एक”

(देखें योजना की कंडिका 2.6 एवं 5.6)

प्राधिकृत अस्पताल की अनुसूची

अशासकीय अस्पताल

1. अनंत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, मदन महल रेलवे स्टेशन रोड, राईट टाउन, जबलपुर, मध्यप्रदेश

प्रभात दुबे, सचिव.

क्र. एफ.-67-190-10-तीन-2142.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद् पन्ना, जिला पन्ना** के आम निर्वाचन में **श्रीमती शांति देवी चौहान**, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। **नगरपालिका परिषद्, पन्ना जिला पन्ना** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, पन्ना के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, पन्ना के पत्र क्र. 701/स्था.निर्वा./10, दिनांक 21 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती शांति देवी चौहान** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती शांति देवी चौहान** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 11 मई 2010 को जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पन्ना के माध्यम से दिनांक 26 मई 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

श्रीमती शांति देवी चौहान को नोटिस दिनांक 26 मई 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 10 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। नोटिस की तामिली उपरांत कलेक्टर, पन्ना ने अपने पत्र दिनांक 24 सितम्बर 2011 में लेख किया कि अभ्यर्थी ने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अतः विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में

दिनांक 15 नवम्बर 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामिली कलेक्टर, पन्ना द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती शांति देवी चौहान** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद् पन्ना, जिला पन्ना** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2011

क्र. एफ.-67-190-10-तीन-2143.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है

कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद् पन्ना**, जिला **पन्ना** के आम निर्वाचन में **श्रीमती मनोज दुबे**, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। **नगरपालिका परिषद् पन्ना**, जिला **पन्ना** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, पन्ना के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **पन्ना** के पत्र क्र. 701/स्था.निर्वा./10, दिनांक 21 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती मनोज दुबे** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती मनोज दुबे** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 11 मई 2010 को जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पन्ना के माध्यम से दिनांक 25 मई 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

श्रीमती मनोज दुबे को नोटिस दिनांक 25 मई 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 9 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। अभ्यर्थी ने दिनांक 9 जून 2010 को

एक अभ्यावेदन आयोग को प्रेषित किया, जिसमें विलंब से लेखे प्रस्तुत करने का कारण सास का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें इलाज हेतु बाहर ले जाना बतलाया किन्तु इस बाबत कोई चिकित्सा प्रमाण आदि प्रस्तुत नहीं किए। तामिली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर, पन्ना ने अपने पत्र दिनांक 24 सितम्बर 2011 में लेख किया कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के संबंध में तहसीलदार पन्ना से जांच कराई गई। तहसीलदार ने इनके द्वारा कोई समाधानकारक उत्तर न देना प्रतिवेदित किया है।

आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 10 अक्टूबर 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 15 नवम्बर 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया। अभ्यर्थी उपस्थित हुईं। उन्होंने यद्यपि विलंब से लेखे प्रस्तुत करने का कारण अपने अभ्यावेदन में सास का स्वास्थ्य खराब हो जाना उल्लिखित किया था। किन्तु सुनवाई में उन्होंने इस बाबत न तो कुछ कहा और ना ही प्रमाणस्वरूप कोई अभिलेख प्रस्तुत किये बल्कि विलंब से लेखे प्रस्तुत करने का कारण भूल जाना बतलाया।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती मनोज दुबे** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद् पन्ना**, जिला **पन्ना** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मनावर, दिनांक 29 नवम्बर 2011

क्र. 2280-भू.अ.-2011—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	कवठी	636.280 मकान	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. न. घा. वि. प्रा. मान जोबट, संभाग कुशी.	सरदार सरोवर परियोजना अंतरराज्यीय प्रोजेक्ट में आने से.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री लो. नि. वि. न. घा. वि. प्रा. मान जोबट संभाग कुशी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 5 दिसम्बर 2011

नस्ति क्र. 361-2009-एल.ए.-प्र.क्र.-09-अ-82-2009-10.—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25 नर्मदानगर द्वारा उनके पत्र क्रमांक 2855-दिनांक-13 नवम्बर 2009 द्वारा ग्राम तेलियामाल के विभिन्न सर्वे की कृषि भूमि क्षेत्रफल 1.52 हैक्टर व उस पर स्थित परिसंपत्ति ग्राम पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु तत्काल अधिग्रहण किये जाने के प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा को प्रस्तुत कि गए. भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4(1) की अधिसूचना एवं अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत उद्घोषणा का विहित स्थानों पर प्रकाशन कराये जाने तथा अधिनियम की धारा 09 के अंतर्गत कार्यवाही की गई. इस स्तर प्रस्तावक विभाग द्वारा उनके पत्र क्रमांक-2228, नर्मदा नगर, दिनांक 10 जून 2011 द्वारा ड्राइंग एवं डिजाईन के परिवर्तन के कारण पाईप का व्यास कम हो जाने के कारण उक्त ग्राम के भू-अर्जन के प्रस्ताव को निरस्त किये जाने के प्रस्ताव प्रेषित किये गये.

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (9) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (9) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक नहीं है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना नहीं है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 48 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है. अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत कॉलम (6) व (7) में उल्लेखित भूमि को अधिग्रहण से निर्मुक्त

प्रत्याहरित किये जाने की घोषणा की जाती है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत निम्न सर्वे नंबर अर्जन हेतु प्रस्तावित था		अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहित किये जाने वाली सर्वे नम्बर का ब्यौरा		धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का कारण
			खसरा नम्बर	रकबा	खसरा नम्बर	रकबा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
खण्डवा	पुनासा	तेल्यामाल	17	0.12	17	0.12	कार्यपालन यंत्री	पुनासा
			18/1	0.08	18/1	0.08		
			18/2	0.04	18/2	0.04		
			20	0.13	20	0.13		
			43	0.10	43	0.10		
			44/1	0.04	44/1	0.04		
			117	0.01	117	0.01		
			118/1	0.03	118/1	0.03		
			118/7	0.05	118/7	0.05		
			125/1	0.09	125/1	0.09		
			125/2	0.10	125/2	0.10		
			125/3	0.04	125/3	0.04		
			150	0.13	150	0.13		
			151	0.18	151	0.18		
			152/2	0.09	152/2	0.09		
			155/1	0.03	155/1	0.03		
			155/2	0.10	155/2	0.10		
			156/1	0.04	156/1	0.04		
			156/2	0.06	156/2	0.06		
			156/3	0.06	156/3	0.06		
				1.52		1.52		

(2) भूमि का नक्शा व प्लान आदि (1) कार्यालय कलेक्टर जिला पूर्व निमाड़, खण्डवा (2) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदा नगर (3) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा में देखा जा सकता है।

खण्डवा, दिनांक 8 दिसम्बर 2011

नस्ती क्र. 12-2011-एल.ए.-भू-अर्जन प्र. क्र.-24-अ-82-10-11.—शुद्धि-पत्र.—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु ग्राम धारकवाड़ी, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा के भू-अर्जन प्र. क्र. 24-अ-82-10-11 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 15 जुलाई 2011 को नवभारत समाचार-पत्र में दिनांक 11 जुलाई 2011 को, अग्निबाण में दिनांक 11 जुलाई 2011 एवं आम इशतहार दिनांक 28 जून 2011 को हुआ है। उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे :-

प्रकाशन जिसमें हुआ

मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 15-7-11.
नवभारत समाचार पत्र में दिनांक 11-7-11
अग्निबाण में दिनांक 11-7-11.
आम इशतहार में दिनांक 28-6-11.

पूर्व प्रकाशि प्रविष्टि
खसरा नंबर रकबा हे. में

8/1	0.04
8/1	0.04
8/1	0.04
8/1	0.04

सही संशोधित प्रविष्टि
खसरा नंबर रकबा हे. में

8/3	0.04
8/3	0.04
8/3	0.04
8/3	0.04

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 1.54 हे. यथावत रहेगा.

खण्डवा, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

नस्ती क्र. 111-2011-एलए-भू-अर्जन प्र. क्र.-6अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	माण्डला	4.77	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन.

(2) ग्राम माण्डला की भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी नया हरसूद/छनेरा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 25 नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 110-2011-एलए-भू-अर्जन प्र. क्र.-7अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	उण्डेल रैयत	0.72	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत पाईप लाईन वितरण हेतु.

(2) ग्राम उण्डेल रैयत की भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी नया हरसूद/छनेरा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 25 नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

खण्डवा, दिनांक 21 दिसम्बर 2011

नस्ती क्र. 149-2011-एलए-भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित

अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पंधाना	बोरगांवबुजुर्ग (पलसीयापानी)	6.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा	विकास खण्ड पंधाना में पलसीयापानी तालाब सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम बोरगांव (पलसीयापानी) में तालाब निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पंधाना/कार्यपालन यंत्र जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में कार्यालयीन दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

क्र. भू-अर्जन-2011-1388-प्र.क्र. 11-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) सह 17(4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण		धारा 4 की उपधारा		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	जोबट	कस्बाजोबट (ग्रामीण)	10.12	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि., इन्दौर	झाबुआ, जोबट, बाग, कुक्षी राजमार्ग क्रमांक 39 पर जोबट बायपास निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी जोबट तथा संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि., इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2011-1386-प्र.क्र.-12अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) सह 17(4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	जोबट	देगांव	0.63	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि., इन्दौर	झाबुआ, जोबट, बाग, कुक्षी राजमार्ग क्रमांक 39 पर जोबट बायपास निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि., इन्दौर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2011-1384-प्र.क्र.-13अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) सह 17(4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	जोबट	कनवाड़ा	4.14	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि., इन्दौर	झाबुआ, जोबट, बाग, कुक्षी राजमार्ग क्रमांक 39 पर कनवाड़ा बायपास निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि., इन्दौर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2011-1382-प्र.क्र.-14अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5)

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) सह 17(4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	जोबट	देहदला	2.66	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि., इन्दौर	झाबुआ, जोबट, बाग, कुक्षी राजमार्ग क्रमांक 39 पर जोबट बायपास निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि., इन्दौर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2011-1380-प्र.क्र.-15अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) सह 17(4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	जोबट	उदयगढ़	7.82	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि., इन्दौर	झाबुआ, जोबट, बाग, कुक्षी राजमार्ग क्रमांक 39 पर उदयगढ़ बायपास निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि., इन्दौर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2011-1376-प्र.क्र.-16अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि

उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) सह 17(4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	जोबट	पिपलिया	1.94	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि., इन्दौर	झाबुआ, जोबट, बाग, कुक्षी राजमार्ग क्रमांक 39 पर उदयगढ़ बायपास निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि., इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2011-1378-प्र.क्र.-17अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) सह 17(4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	जोबट	प्रताप फलिया	0.82	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि., इन्दौर	झाबुआ, जोबट, बाग, कुक्षी राजमार्ग क्रमांक 39 पर उदयगढ़ बायपास निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि., इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुष्पलता सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 12 दिसम्बर 2011

प्र. क्र. 4अ-82-वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-8997.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी

को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	खैरवानी	0.602	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	पिपरिया लघु जलाशय निर्माण में स्पील हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
 (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 12 दिसम्बर 2011

क्र. 1771-भू-अर्जन-2011-संशोधन.—जिला खरगोन, तहसील कसरावद के ग्राम अमलाथा-II की महेश्वर जल विद्युत् परियोजना से डूब प्रभावित भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियां एवं निजी/शासकीय भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के तहत पत्र क्रमांक 1652-भू-अर्जन-2011, दिनांक 9 नवम्बर 2011 से जारी अनुबंध पत्र का मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 के पृष्ठ क्रमांक 4132 एवं 4140 दिनांक 25 नवम्बर 2011 पर त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है. जिसको निम्नानुसार संशोधित प्रविष्टि पढ़ा जावे :—

त्रुटिपूर्ण प्रकाशित प्रविष्टि अमलाथा-11

भू-खण्ड क्र.	क्षेत्रफल
384	124

शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी.

सही संशोधित प्रविष्टि अमलाथा-II

भू-खण्ड क्र.	क्षेत्रफल
384	121

क्र. 1770-भू-अर्जन-2011-संशोधन.—जिला खरगोन, तहसील कसरावद के ग्राम नगावां-II की महेश्वर जल विद्युत् परियोजना से डूब प्रभावित भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियां एवं निजी/शासकीय भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के तहत पत्र क्रमांक 1651-भू-अर्जन-2011, दिनांक 9 नवम्बर 2011 से जारी अनुबंध पत्र का मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 के पृष्ठ क्रमांक 4121 एवं 4126, दिनांक 25 नवम्बर 2011 पर त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है. जिसको निम्नानुसार संशोधित प्रविष्टि पढ़ा जावे :—

त्रुटिपूर्ण प्रकाशित प्रविष्टि नगावां-11

भू-खण्ड क्र.	क्षेत्रफल
334	118

शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी.

सही संशोधित प्रविष्टि नगावां-II

भू-खण्ड क्र.	क्षेत्रफल
324	118

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2011

प्र. क्र. 1-अ-82-वर्ष 2010-11-पत्र क्र. 578-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव खेड़ा नं. बं. 149, प. ह. नं. 15	6.647	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, नरसिंहपुर.	गोटेगांव बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गोटेगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-वर्ष -2010-11-पत्र क्र. 578-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गोटेगांव	बरौदा नं. बं. 382, प. ह. नं. 15	4.702	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, नरसिंहपुर.	गोटेगांव बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गोटेगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82-वर्ष -2010-11-पत्र क्र. 578-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गोटेगांव	कुम्हरा खेड़ा नं. बं. 69 प. ह. नं.23	2.041	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, नरसिंहपुर.	गोटेगांव बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गोटेगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-वर्ष -2010-11-पत्र क्र. 578-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गोटेगांव	कमती नं. बं. 40 प. ह. नं. 15	2.392	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, नरसिंहपुर.	गोटेगांव बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गोटेगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-वर्ष -2010-11-पत्र क्र. 578-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गोटेगांव	सिमरी नं. बं. 573 प. ह. नं. 22	2.573	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, नरसिंहपुर.	गोटेगांव बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गोटेगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-वर्ष -2010-11-पत्र क्र. 578-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गोटेगांव	छिंदौरी नं. बं. 176 प. ह. नं. 22	2.859	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, नरसिंहपुर.	गोटेगांव बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गोटेगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 7-अ-82-वर्ष -2010-11-पत्र क्र. 578-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गोटेगांव	छोटा छिन्दवाड़ा नं. बं. 175 प. ह. नं. 16	6.745	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, नरसिंहपुर.	गोटेगांव बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गोटेगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 21 दिसम्बर 2011

क्र. 09-अ-82-2010-11-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है.

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	भितरवार	गाजना	5.443	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
		योग . .	5.443		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 10-अ-82-2010-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	भितरवार	बाजना	7.781	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
योग . .			<u>7.781</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 58-अ-82-2010-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	डबरा	लखनपुरा	3.54	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.	सिंध रमौआ नहर की 2 आर मायनर नहर के निर्माण हेतु.
योग . .			<u>3.54</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 59-अ-82-2010-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	डबरा	गढ़ी	2.744	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर.	सिंध रमौआ नहर की 2 आर मायनर नहर के निर्माण हेतु.
योग . .			<u>2.744</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,	(1)	(2)
बाणसागर परियोजना जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं	838	0.056
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,	870	0.064
राजस्व विभाग		योग . . . <u>1.400</u>

रीवा, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

क्र. 2186-भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—सिरमौर
- (ग) नगर/ग्राम—कररिया 55
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.459 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
674	0.125
676	0.017
677	0.094
678	0.072
679	0.014
687	0.066
688	0.146
690	0.04
692	0.096
694	0.113
695	0.112
696	0.046
835	0.004
836	0.039
837	0.296

शासकीय भूमि, मध्यप्रदेश शासन

689	0.019
693	0.040
	महायोग . . . <u>1.459</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्यौंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरिका की दुलहरा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2188-भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—सिरमौर
- (ग) नगर/ग्राम—राजगढ़ 496 हल्का 46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—6.993 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
828	0.108
829	0.068
830	0.012
831	0.280
838	0.010
842	0.010
843	0.170

(ग) नगर/ग्राम—उमरी कोठार		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.919 हेक्टर.			
खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)		
21	0.012	473	0.130
22	0.068	474	0.015
55	0.108	475	0.252
56	0.108	478	0.140
57	0.096	479	0.123
64	0.072	480	0.008
65	0.072	488	0.018
66	0.032	503	0.324
67	0.048	507	0.188
68	0.068	508	0.032
69	0.062	509	0.097
71	0.128	514	0.115
396	0.043	521	0.156
397	0.014	522	0.012
398	0.026	523	0.176
399	0.095	525	0.044
404	0.028	526	0.072
405	0.029	529	0.258
406	0.216	530	0.025
408	0.015	531	0.050
413	0.095	591	0.042
416	0.146	592	0.008
417	0.103	593	0.008
428	0.124	594	0.048
429	0.100	600	0.167
430	0.059	601	0.017
431	0.002	605	0.009
440	0.017	606	0.121
441	0.239	607	0.120
442	0.068	791	0.020
446	0.064	792	0.165
465	0.232	793	0.122
470	0.703	993	0.057
471	0.019	994	0.016
472	0.015	995	0.051
		998	0.026
		999	0.024
		1000	0.046

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) ग्राम—महुरछ कंदैला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.220 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
----------------------	------------------------------------

निजी खाता

876/1	0.240
876/2	0.192
877	0.024
878	0.312
681	0.064
680	0.102
541/2	0.344
541/1ख	0.160
541/1ग	0.160
541/1क	0.328
539/4	0.304
539/3	0.304
कुल अर्जित रकबा . .	<u>2.220</u>

क्र. 2218-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान

- (ग) ग्राम—बैरिहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.8708 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
1725/1, 1725/2	0.128
1726/1क, 1726/2	0.24
1727, 1727/2	0.032
1734/1, 1734/2	0.032
1735	0.10
1737	0.016
1738/1, 1738/2	0.076
1641	0.368
1640	0.132
614	0.0064
615	0.08
616	0.076
617/1, 617/2	0.012
618	0.068
623	0.128
624	0.0224
622/1,	
622/2,	
622/3,	
622/4,	
622/5,	0.0192
622/6,	
622/7,	
622/8,	
622/9	
622/10	
625	0.112
690	0.167
691/1, 691/2	0.0168
689/1, 689/2क	0.0192
689/2ख	

(1)	(2)	(1)	(2)
684	0.024	822/1, 822/2	0.056
685	0.088	817/1, 817/1क, 817/2	0.012
683/1, 683/2, 683/3	0.238	817/3, 817/4,	
734	0.016	815/1, 815/2, 815/3,	0.024
732/1, 732/2, 733/3	0.06	815/4	
733/1, 731/2	0.044	816/1अ, 816/1ब,	
731	0.1064+0.04=0.1464	816/2, 816/3	0.224
723	0.112	816/4	
720/1		816/5	
720/2		1544/1, 1544/2,	0.07
720/3		1544/3, 1544/4	
720/4		1544/5	
720/5	0.065	1545/1, 1545/2	0.019
720/6		1545/3/1, 1545/3/2	
720/7		1543/1	
720/8		1543/2क	
720/9		1543/2ख	
720/10		1543/3	0.016
725	0.022	1543/4	
719	0.096	1543/5	
767	0.048	1543/6	
768	0.012	1532/1	
770	0.026	1532/2क	
769	0.026	1532/2ख	
771/1, 771/2अ, 771/2ब	0.029	1532/2ग	
773/1, 773/2, 773/3	0.064	1532/2घ	0.352
774/1, 774/2अ, 774/2ब	0.058	1532/3	
775	0.058	1532/4	
776/1, 776/2	0.145	1532/5	
1871	0.165	1532/6	
821	0.14	1531/1	
818	0.052	1531/2क	
		1531/2ख	
		1531/3	0.044
		1531/4	
		1531/5	
		1531/6	

(1)	(2)	(1)	(2)
1530/1		1483/1	
1530/2क		1483/2क	
1530/2ख		1483/2ख	
1530/3	0.164	1483/3	0.022
1530/4		1483/4	
1530/5		1483/5	
1530/6		1483/6	
1529/1		1484	0.048
1529/2क		1525/1/1	
1529/2ख		1525/1/2	0.048
1529/3	0.140	1525/1/3	
1529/4		1524/1, 1524/2	0.257
1529/5		1487	0.048
1529/6		1521	0.05
1528/1		1520/1, 1520/2	0.054
1528/2क		1519	0.073
1528/2ख		1518/1, 1518/2	0.0032
1528/3	0.224	1517	0.0024
1528/4		1516	0.088
1528/5		1508	0.005
1528/6		1508/2, 1508/3	
1527/1		1511/1, 151/2, 151/3	0.156
1527/2क		1505	0.062
1527/2ख		1504	0.087
1527/3		1503	0.034
1527/4		1293/1अ	
1527/5		1293/1ब	
1527/6	0.016	1293/1स	
1527/7		1293/1द/1	
1527/8		1293/1द/2क	
1527/9		1293/1द/2ख	0.156
1527/10		1293/1द/3	
1527/11क		1293/2/1	
1527/11ख		1293/2/2	
1527/11ग		1293/2/3	
1527/11घ		1293/2/4	

(1)	(2)	(1)	(2)
1296/1अ		1268/1	
1296/1ब	0.035	1268/2	0.09
1296/2ब		1268/3	
1296/2		152	0.1261
1297	0.051	151	0.253
1295	0.11	116	0.019
1287	0.112	122	0.013
1286	0.012	117/1, 117/2	0.234
1284	0.01	80/1	
1278/1, 1278/2	0.088	80/2	
1279	0.01	80/3	0.144
1275/1अ		80/4	
1275/1ब		80/5	
1275/2क	0.088	80/6	
1275/2क/1		79/1, 79/2	0.174
1275/2ख		77/1, 77/2/1,	0.02
1274/1		77/2/2	
1274/2क	0.034	78/1	
1274/2ख		78/2	
1281	0.01	78/3/1	
1259	0.096	78/3/2	0.079
1260	$0.231+0.032=0.263$	78/3/3	
1261	0.16	78/3/4	
1262	$0.12+0.108=0.228$	78/3/5	
1264	0.1152	78/3/6	
1265/1/1		1263	0.232
1266/1/2		1085	0.024
1265/2	0.052	160	0.4173
1265/3/1		159	0.061
1265/3/2		158	0.296
1267/1		110	0.018
1267/2/1	0.16	108/1, 108/2	0.007
1267/2		96	0.019
		1848	0.150

(1)	(2)	(1)	(2)
95/1अ/1		16/1, 16/2	0.128
95/1अ		15	0.0336
95/1ब		730	0.16
95/1स	0.056	746	0.104
95/2		747	0.072
95/3		748	0.072
95/4		749	0.08
97/1, 97/2	0.052	750	0.005
98/1, 98/2	0.064	751	0.072
99/1/1		752/1क	
99/1/2		752/1ख	
99/1/3	0.08	752/1ग	0.05
99/1/4		752/1घ	
99/2		752/2क	
94/1अ		752/2ख	
94/1अ1		977/1, 977/2	0.040
94/1ब		978/1, 978/2	0.0872
94/1स	0.394	379/1892/1क	
94/2		379/1892/1ख	
94/3		379/1892/1ग व घ4	
94/4		379/1892/1घ	
94/5		379/1892/1ङ1	0.21
100/1/1		379/1892/1ङ2	+
100/1/2		379/1892/1च	0.224
100/1/3	0.0032	379/1892/1छ	=0.436
100/1/4		379/1892/1ज	
100/2		379/1892/1झ	
57	0.204	379/1892/1ञ	
58	0.22	379/1892/1ट	
61	0.0192	379/1892/2	
19	0.019		
22	0.096		
21	0.031		
23	0.1248		
14	0.172		

(1)	(2)	(1)	(2)
378/1क		शासकीय भूमि	
378/1ख		975/1क	
378/1ग		975/2ख	
378/1घ		975/2ख1	
378/1ङ्ग1		975/2	
378/1च		975/3	
378/1छ	0.008	975/3क	
378/1ज		975/4क1/1	0.121
378/1झ		975/4क 1/2	+
378/1ञ		975/4क 1/3	0.38
378/1ट		975/4क/2	=0.501
378/1ड/2		975/4क3	
378/2		975/4क4/1	
377/1908/1		975/4क4/2	
377/1908/2	0/0.1104	975/4क4/3क	
377/1908/3		975/4ख1	
377/1908/4		975/4ख2	
399/1910	0.210+0.116=0.326	824	0.06
400	0.0352	1273	0.072
376/1		976	0.040
376/2	0.0048	380	0.0216
376/3		664/1क	
376/4		664/1ख	
374/1, 374/2	0.116	664/2क1	
403	0.0448	664/2ख2	0.176
373/1, 373/2	0.0128	664/2क3	
406/1, 406/2	0.008	664/2ख	
372/1, 372/2,	0.232	664/2ग	
338/1, 338/2, 338/3		कुल शासकीय भूमि	0.8706
338/4	0.104	महायोग	14.8708
337/1, 337/2, 337/3	0.0176		
कुल अशासकीय भूमि	14.0002		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

(1) (2)

86 0.03

105 0.06

394 0.07

398 0.01

409 0.04

410 0.04

411 0.03

415 0.04

424 0.06

417 0.05

423 0.12

योग . . 1.21

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 12 दिसम्बर 2011

प्र. क्र. 01-अ-82-2011-12-858.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि

(क) जिला—देवास

(ख) तहसील—टोंकखुर्द

(ग) ग्राम—मोहम्मद खेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.21 हेक्टर

सर्वे नम्बर	डूब का रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
15	0.07
17	0.02
19	0.03
20	0.03
45/2	0.04
61/2	0.07
76	0.11
78	0.05
385/1	0.07
79	0.06
106	0.06
85	0.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—जनोली तालाब के डूब क्षेत्र से प्रभावित होने से.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सोनकच्छ तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सम्भाग, देवास मुख्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 12 दिसम्बर 2011

प्र. क्र. 25-अ-82-वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-8996.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा (6) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल

(ख) तहसील—मुलताई

(ग) नगर/ग्राम—इटावा, प. ह. नं. 36/133	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.007 हेक्टर		
खसरा	रकबा	
नम्बर	(हेक्टर में)	
(1)	(2)	
407	0.138	317
373/3	0.063	318
297/3	0.070	27/5
373/2	0.063	93
310/1	0.012	92/1
297/4	0.076	92/2
373/1	0.042	92/3
310/2	0.012	26/2
301	0.007	
373/4	0.046	
302	0.007	
303	0.013	
304/3	0.009	
304/2	0.010	
304/1	0.014	
305	0.045	
306	0.024	
307	0.024	
309	0.016	
308	0.016	
310/3	0.012	
312	0.012	
313	0.012	
314/1	0.030	
314/2	0.015	
315/1	0.027	
315/2	0.014	
316	0.014	
28/1	0.418	
		कुल योग . . 2.007
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इटावा लघु जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
		(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
		कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
		सीधी, दिनांक 16 दिसम्बर 2011
		क्र. 3673-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा (6) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
		अनुसूची
		(1) भूमि का वर्णन—
		(क) जिला—सीधी
		(ख) तहसील—मझौली

(ग) ग्राम—अमझर				(1)	(2)	(3)	(4)	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—24.86 हेक्टर				691	353, 354, 349	0.20	0.20	
हाल नम्बर	पुराना नम्बर	कुल रकबा हेक्टर	अर्जित रकबा हेक्टर	696	362, 363	0.61	0.61	
(1)	(2)	(3)	(4)	697	349	0.36	0.36	
							योग . .	24.86
615	494, 495, 498, 521, 528, 522	3.47	3.47	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गजरी बांध के डूब क्षेत्र हेतु.				
616	496, 497, 515, 516, 519, 520, 522, 495	1.62	1.62	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी मझौली के कार्यालय में किया जा सकता है.				
619	501	1.30	1.30	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.				
620	501, 502/2	0.39	0.39					
621	501	0.80	0.80	कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग				
622	501, 502/1	0.15	0.15					
623	503, 504, 505	0.62	0.62	रीवा, दिनांक 16 दिसम्बर 2011				
624	505, 512, 503	0.09	0.09					
625	505, 503, 512	0.44	0.44	क्र. 713-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा (6) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—				
627	509, 510, 511, 513, 514, 512, 497, 515	4.05	4.05					
628	514, 515, 516	0.15	0.45	अनुसूची				
630	515, 516	0.87	0.87					
633	533, 534	0.87	0.87	(1) भूमि का वर्णन—				
638	480	0.53	0.53					
640	480	0.74	0.74	(क) जिला—रीवा				
649	486	0.40	0.40					
646	482, 346, 483	1.35	1.35	(ख) तहसील—हुजूर				
652	346, 484	0.55	0.55					
629	517, 518	0.23	0.23	(ग) नगर/ग्राम—डीही 241, प. ह.-बिहरिया 41				
631	517, 518	0.22	0.22					
641	481	0.06	0.06	(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.586 हेक्टर				
653	331/2, 347/2	0.12	0.12					
654	330, 331/2, 348, 347, 348, 349	1.33	1.33	ख. क्र.				
656	350, 351	0.76	0.76					
657	351	0.08	0.08	रकबा (हेक्टर में)				
659	351	0.37	0.37					
661	351	0.30	0.30	(1)				
664	351	0.10	0.10					
665	351	0.45	0.45	(2)				
667	353/2, 354/2	0.32	0.32					
669	330	0.09	0.09	396/1क				
673	329/2	0.14	0.14					
689	329/2	0.43	0.43	396/1ख				
				396/1ग				
				396/1घ				
				396/2				

(1)	(2)
396/3	0.065
396/4	0.061
396/5	0.061
396/6	0.065
396/7	0.065
कुल योग . .	1.265

सभी आराजियों के कुल रकबा में से 0.201 हे.

(1)	(2)
399/2	0.089
399/3	0.093
399/4	0.360
399/5	0.061
399/6	0.061
399/7	0.061

कुल योग . . 0.725

सभी आराजियों के कुल रकबा में से 0.385 हे.

कुल अर्जित रकबा 0.586

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—दूबी-गढ़वा मार्ग के कि. मी. 3/6 में निर्माणाधीन बिछिया नदी पर पुल.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी, दिनांक 19 दिसम्बर 2011

क्र. 2870-भू-अर्जन-नहर-2011-प्र. क्र. 27-अ-82-2010-11.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा (6) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया

जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—
अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—अंजड़
(ग) ग्राम का नाम—संदेवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.986 हेक्टर

खसरा नम्बर

अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)	(2)
23/1, 25/2	0.425
26/2/1	0.134
26/2/2	0.210
26/2/3	0.202
26/3	0.210
31/1	0.202
31/2	0.105
32/1	0.680
32/4	0.008
35/2, 36/1	0.413
36/2	0.397

योग . . 2.986

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी टेलमाईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय जिला बड़वानी व भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 बड़वानी में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 2874-भू-अर्जन-नहर-2011-प्र. क्र. 28-अ-82-2010-11.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा (6) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—अंजड़

(ग) ग्राम का नाम—हरिबड़	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.061 हेक्टर	91 पैकि.	0.445
खसरा	93 पैकि.	0.175
अधिग्रहित किया जाने		योग . . 2.060
नम्बर		
(1)	(2)	
2/2,12/2	0.061	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, कार्यालय जिला बड़वानी व भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 बड़वानी में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 2871-भू-अर्जन-नहर-2011-प्र.क्र.29-अ-82-2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा (6) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—अंजड़
(ग) ग्राम का नाम—पान्या
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.060 हेक्टर

खसरा	अधिग्रहित किया जाने
नम्बर	वाला क्षेत्रफल
	(हेक्टर में)
(1)	(2)
7/2 पैकि.	0.024
15 पैकि.	0.040
17/1 पैकि.	0.089
17/3 पैकि.	0.194
18/1 पैकि.	0.155
18/2 पैकि.	0.154
78 पैकि.	0.101
79/1 पैकि.	0.146
84 पैकि.	0.100
85/2 पैकि.	0.275
90 पैकि.	0.162

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी टेलमाईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, कार्यालय जिला बड़वानी व भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 बड़वानी में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 2873-भू-अर्जन-नहर-2011-प्र.क्र.31-अ-82-2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा (6) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—अंजड़
(ग) ग्राम का नाम—गोलाटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.563 हेक्टर.

खसरा	अधिग्रहित किया जाने
नम्बर	वाला क्षेत्रफल
	(हेक्टर में)
(1)	(2)
62/1	0.150
62/2	0.308
62/3	0.150
66/1	0.275
66/2	0.251
68/1	0.251
69/1	0.526
77/1	0.455
78/1, 78/2	0.348
78/3	0.178
78/4	0.186
78/5	0.162

(1)	(2)	(1)	(2)
78/6	0.121	17	0.307
80/1	0.202	19 पैकि.	0.142
योग . . . 3.563		24 पैकि.	0.214
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी टेलमाईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.		25 पैकि.	0.510
		26 पैकि.	0.210
		27	0.049
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय जिला बड़वानी व भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 बड़वानी में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.		33/1 पैकि.	0.020
		33/2 पैकि.	0.206
		34/1 पैकि.	0.242
		34/2 पैकि.	0.089
		34/3 पैकि.	0.184
क्र. 2872-भू-अर्जन-नहर-2011-प्र.क्र.32-अ-82-2010-		34/4 पैकि.	0.184
11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा (6) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—		36 पैकि.	0.192
		51/1 पैकि.	0.202
		51/2 पैकि.	0.360
		105 पैकि.	0.421
		108/2 पैकि.	0.162
		108/3 पैकि.	0.182
		112/2 पैकि.	0.389
		117, 118 पैकि.	0.069
		119 पैकि.	0.032
		124/4 पैकि.	0.048
		124/5 पैकि.	0.212
		125/1 पैकि.	0.235
		125/2 पैकि.	0.032
		127/1 पैकि.	0.263
		योग . . . 7.050	
(1) भूमि का वर्णन—		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी टेलमाईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.	
(क) जिला—बड़वानी		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर कार्यालय जिला बड़वानी व भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 बड़वानी में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.	
(ख) तहसील—अंजड़		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
(ग) ग्राम का नाम—चकेरी		रेनु तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.050 हेक्टर.			
खसरा नम्बर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)		
9/2 पैकि.	0.121		
9/3 पैकि.	0.356		
10/1 पैकि.	0.072		
11/1 पैकि.	0.097		
11/2 पैकि.	0.285		
14/1 पैकि.	0.105		
14/2 पैकि.	0.219		
14/3 पैकि.	0.146		
14/4 पैकि.	0.064		
16 पैकि.	0.429		

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार, दिनांक 21 दिसम्बर 2011

क्र. 2410-वाचक- प्र. क्र. 4-अ-82-2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—सिरसाला (पूरक)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.052 हेक्टर.

सर्वे नम्बर निजी	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
333	0.040
315/2	0.172
315/1/1	0.140
316/1/2	0.330
316/1/1	0.070
329	0.300
योग :	<u>1.052</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 133990 मी. से निकलने वाली डी एम 69 के नहर निर्माण हेतु.
- (3) भू-अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 13888-भू-अर्जन-2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये

आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—उपड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—61.00 मीटर 40.05 वर्गमीटर

सर्वे क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल में स्थित संरचना
(1)	(2)
46/1	61.00 मीटर (पाईप लाईन)
138/1/2	19.80 वर्गमीटर (कुआ)
130	20.25 वर्गमीटर (कुआ)
योग . .	(1) 61.00 मी. (पाईप लाईन) (2) 40.05 वर्गमीटर (कुए)

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मण्डावती तालाब निर्माण अंतर्गत डूब प्रभावित होने से.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 13893-भू-अर्जन-2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—उखल्दा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5260.40 मीटर 901.60 वर्गमीटर.

सर्वे क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल में स्थित संरचना
(1)	(2)
216, 254/1घ	33.60 वर्गमीटर (कुआ)
232/1/6	43.50 वर्गमीटर (कुआ)

(1)	(2)
106/1/4	900.00 मी. (पाईप लाईन)
78/3	212.00 मी. (पाईप लाईन)
98/12, 19/2, 255/2	460.00 मी. (पाईप लाईन)
220/5, 219/8, 226/2	244.00 मी. (पाईप लाईन)
103/3/5, 101/1/3, 232/1/3	183.00 मी. (पाईप लाईन)
74/1	76.00 मी. (पाईप लाईन)
	34.45 वर्ग मीटर (कुआ)
97/6	213.40 मी. (पाईप लाईन)
109/2/4	1372.00 मी. (पाईप लाईन)
	37.40 वर्ग मी. (कुआ)
261/2	35.38 वर्ग मी. (कुआ)
232/2, 110/2/2	1600.00 मी. (पाईप लाईन)
	40.92 वर्ग मी. (मकान-1)
132	262.90 वर्ग मी. (मकान-7)
134	379.13 वर्ग मी. (मकान-11)
109/1	34.30 वर्ग मी. (मकान-1)

योग . . . (1) 5260.40 मीटर भूमि में स्थित (पाईप लाईन)
(2) 901.60 वर्गमीटर भूमि में स्थित (कुए/मकान)

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मण्डावती तालाब निर्माण अंतर्गत डूब प्रभावित होने से.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2011

क्र.-6 अ-82-2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक

एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—भोपाल
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) नगर/ग्राम—करारिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.627 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा हेक्टर में
(1)	(2)
90/2	0.052
89/2	0.016
96/2	0.057
99/1/2	0.081
117/5/2	0.004
133/1/1	0.064
133/1/2	0.081
75/2/2	0.032
कुल योग :	
	<u>0.387</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मलजल प्रवाह परियोजना.

क्र. 6-अ-82-2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—भोपाल
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) नगर/ग्राम—कोलुआ कला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.627 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा हेक्टर में
(1)	(2)
124/2, 125/2	1.627
कुल योग :	
	<u>1.627</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंज श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2011

जबलपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2011

क्र.-E-5177-दो-2-48-2009.—श्री जे. आर. बच्चन, रजिस्ट्रार (विजिलेन्स एण्ड इन्सपेक्शन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक की अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2011

क्र.-B-3200-दो-2-64-09.—श्री बी. एस. परमार, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण), ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-B-3208-दो-2-12-2010.—श्री महेश कुमार शर्मा, ओ. एस. डी./रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2011

क्र.-E-5175-दो-2-93-2006.—सुश्री सुषमा खोसला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-E-5220-दो-2-68-2009.—श्री शिवनारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-E-5223-दो-2-66-2011.—श्री राजीव कुमार दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-C-10451-दो-2-62-06.—श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-C-10472-दो-2-5-2011.—सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 8 नवम्बर 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 एवं 7 नवम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र.-C-10474-दो-3-106-2011.—श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मध्यप्रदेश शासन, विधि और

विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-C-10476-दो-2-18-2008.—श्री आदर्श कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक-सी/9576, दिनांक 14 नवम्बर 2011 के अन्तर्गत स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 24 अक्टूबर 2011 से 5 नवम्बर 2011 तक तेरह दिवस के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक -3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2011 के अनुसार प्रदान की जाती है।

क्र.-C-10478-दो-2-58-2009.—श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-C-10480-दो-2-125-2006.—श्री आर. बी. एस. बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2011

क्र.-B-3184-दो-2-56-2009.—श्री राजेन्द्र महाजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मन्दसौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2

वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-B-3186-दो-2-124-06.—श्री व्ही. के. जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-B-3190-दो-2-19-2008.—श्री एन. के. शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक-सी/8897 दिनांक 22 अक्टूबर 2011 के अन्तर्गत स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 13 अक्टूबर 2011 से 22 अक्टूबर 2011 तक दस दिवस के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त, 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2011 के अनुसार प्रदान की जाती है।

क्र.-B-3192-दो-2-49-2009.—श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को रजिस्ट्री आदेश दिनांक 3 नवम्बर 2011 के अन्तर्गत स्वीकृत आकस्मिक अवकाश दिनांक 8 नवम्बर 2011 एवं 10 नवम्बर 2011 से 11 नवम्बर 2011 तक तीन दिवस के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त, 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 13 अक्टूबर 2011 के अनुसार प्रदान की जाती है।

क्र.-B-3194-दो-2-55-2006.—श्री यू. एस. बहरावत, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-

इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-B-3196-दो-2-109-2006.—श्री पी. एस. पाटीदार, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, सागर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-B-3198-दो-2-66-2009.—श्री एन. के. शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-B-3202-दो-2-51-2011.—श्री पी. के. श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को दिनांक 2 नवम्बर 2011 से 8 नवम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 नवम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. के. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र.-B-3204-दो-2-40-2009.—श्रीमती कुमुदबाला बरणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को दिनांक 15 अक्टूबर 2011 से 17 अक्टूबर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र.-B-3206-दो-2-65-2011.—श्री जे. पी. माहेश्वरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-E-5241-दो-2-65-2009.—श्री एम. पी. एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-E-5243-दो-2-63-2011.—श्री एस. के. अवस्थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.-E-5245-दो-2-57-2006.—श्री डी. के. पालीवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2011

क्र.-E-5173-दो-3-91-2008.—श्री कुलदीप सिंह कुशवाह, रजिस्ट्रार (आई. टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 18 से 29 नवम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री कुलदीप सिंह कुशवाह, रजिस्ट्रार (आई. टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कुलदीप सिंह कुशवाह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (आई. टी.) के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2011

क्र.-B-3027-तीन-10-42-75-(भिण्ड लहार).—उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक सी-8944-तीन-10-42-75 (भिण्ड-लहार), दिनांक 24 अक्टूबर 2011 जहां तक कि उसका संबंध श्री सतीश चन्द्र राय, षष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट), भिण्ड की श्रृंखला न्यायालय, लहार से है, को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

No. B-3027-III-10-42-75 (Bhind-Lahar).—High Court Notification No. C-8944-III-10-42-75 (Bhind-Lahar), dated 24 October 2011, so far as it relates to holding Link Court of Shri Satish Chandra Rai, Additional Judge to VIth Additional Distt. & Session Judge (Fast Track Court), Bind to Lahar is hereby stands cancelled.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
अभय कुमार, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 13 दिसम्बर, 2011

क्र. 1582-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है। साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

क्रमांक	नाम	कहां से	सारणी कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री मुकेश सिंह, अध्यक्ष, म. प्र. राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, ग्वालियर के पद से प्रतिनियुक्त से लौटने पर.	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर	सिविल जिला, ग्वालियर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

जबलपुर, दिनांक 5 दिसम्बर, 2011

क्र.-1552-गोपनीय-2011-दो-3-113-2011.—कुमारी निधि खरे, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, बीना, जिला सागर का विवाह डॉ. अविनाश सक्सेना के साथ होने के फलस्वरूप, उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम “कुमारी निधि खरे” के स्थान पर “श्रीमती निधि सक्सेना” पति डॉ. अविनाश सक्सेना परिवर्तित करने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे।

क्र.-1556-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-ए).—रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 1538-गोपनीय-दो-2-1-2011 (भाग-बी), दिनांक 2 दिसम्बर 2011 के तारतम्य में, श्री गौरी शंकर दुबे, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदौर का, इंदौर से विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत गठित न्यायालय, खण्डवा पद पर हुये स्थानांतरण के फलस्वरूप, खण्डवा पदस्थापना के स्थान पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने की अवधि दिनांक 1 मई 2012 तक बढ़ायी गयी है। तब तक वे अपने वर्तमान पद पर कार्य करते रहेंगे।

जबलपुर, दिनांक 9 दिसम्बर, 2011

क्र.-1574-गोपनीय-2011-दो-3-119-2011.—सुश्री पल्लवी मिश्रा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, ग्वालियर का विवाह श्री अग्नीन्ध्र कुमार द्विवेदी के साथ होने के फलस्वरूप, उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम “सुश्री पल्लवी मिश्रा” के स्थान पर “श्रीमती पल्लवी द्विवेदी” पति श्री अग्नीन्ध्र कुमार द्विवेदी परिवर्तित करने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे।

आदेशानुसार,
सुभाष काकड़े, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 14 दिसम्बर, 2011

क्र. 1591-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री राम गोपाल सिंह	भोपाल	विदिशा	विदिशा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
2	श्री राम प्रसाद सोनकर	भोपाल	भोपाल	भोपाल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री राम गोपाल सिंह के स्थान पर.
3	श्री संजय कुमार पाण्डेय	सतना	भोपाल	भोपाल	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, म. प्र. स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्लपमेंट कॉर्पोरेशन, लिमिटेड (M.P.S.I.D.C.) भोपाल द्वारा आई. सी.डी. संव्यवहार से संबंधित आपराधिक प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु गठित विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री आर. पी. सोनकर के स्थान पर.
4	श्री अखिलेश कुमार मिश्रा	शहडोल	पन्ना	पन्ना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से कुमारी नीता गुप्ता के स्थान पर.
5	कुमारी नीता गुप्ता	पन्ना	देवास	देवास	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
6	श्री नारायण सिंह मीना	दमोह	भाण्डेर	दतिया	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री दिनेश कुमार शर्मा के स्थान पर.
7	श्री अविनाश चन्द्र तिवारी	कटनी	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री पी. डी. शर्मा के स्थान पर.
8	श्री प्रियदर्शन शर्मा	नरसिंहपुर	इंदौर	इंदौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	श्री देव नारायण पाटिल	सांवेर	टीकमगढ़	टीकमगढ़	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
10	श्री रामब्रेश (यादव)	ग्वालियर	दतिया	दतिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
11	श्री कमर इकबाल खान	सतना	सतना	सतना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री संजय कुमार पाण्डेय के स्थान पर.
12	कुमारी शारदा नाहाटे	बिजावर	शिवपुरी	शिवपुरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
13	श्री चन्द्र मोहन उपाध्याय	मैहर	दमोह	दमोह	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री एन.एस. मीना के स्थान पर.
14	श्री राजेन्द्र चौरसिया उप कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	भोपाल	ग्वालियर	ग्वालियर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री रामब्रेश (यादव) के स्थान पर.

क्र. 1592-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार, न्यायाधीश वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री दीपक बंसल उप कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	भोपाल	कटनी	कटनी	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री अविनाश चन्द्र तिवारी के स्थान पर.
2	श्री राम गोपाल प्रजापति	जबलपुर	मुलताई	बैतूल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से.
3	श्री दिनेश कुमार शर्मा	भाण्डेर	मैहर	सतना	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री चन्द्र मोहन उपाध्याय के स्थान पर.
4	श्री प्रदीप राठौर	मनासा	सांवेर	इंदौर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री डी.एन. पाटिल के स्थान पर.
5	श्री शरद भामकर	जबलपुर	शहडोल	शहडोल	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
6	श्री एयाज मोहम्मद	इंदौर	ग्वालियर	ग्वालियर	नवम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री जीतेन्द्र सिंह कुशवाहा के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	श्री आलोक कुमार मिश्रा	ग्वालियर	इंदौर	इंदौर	पन्द्रहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
8	श्री जीतेन्द्र सिंह कुशवाहा	ग्वालियर	इंदौर	इंदौर	चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
9	श्री दिनेश प्रसाद मिश्रा	भोपाल	जबलपुर	जबलपुर	बारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री शरद भामकर के स्थान पर.
10	श्री संजय कुमार सिंह	जबलपुर	भोपाल	भोपाल	अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री दिनेश प्रसाद मिश्रा के स्थान पर.
11	श्री देवी सिंह बर्मन, उप कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	भोपाल	भोपाल	भोपाल	चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में

टिप्पणी:—(1) कुमारी नीता गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पन्ना.

(2) श्री प्रदीप राठौर, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, मनासा, जिला नीमच का स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर विचारोपरांत स्वयं के व्यय पर किये गये हैं.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सुभाष काकड़े, रजिस्ट्रार जनरल.